अध्याय 3: अनुपालन विषय

यह अध्याय इस पक्ष की जांच पड़ताल करता है कि क्या बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य विनिर्दिष्ट उत्पादों के आयात के लिए एफटीपी 2009-14, सीमाशुल्क अधिनियम 1962, एफटीए छूट आरबीआई परिपत्रों के अन्तर्गत रियायत/छूट/माफी का लाभ उचित तरीके से स्वीकृत किया जा रहा है तथा ऐसे लाभों को प्रदान करने के लिए नियम एवं शर्ते पूरी की जा रही है। यह गलत निर्धारण, वर्गीकरण के मामलों के साथ साथ गलत इनवॉइस बनाने के कारण वित्तीय बहिर्गमन, प्रचलित नियमों का गैर अनुपालन, विनियमो, कार्य प्रणालियों तथा परिचालन संबंधी खराबी के अन्य मामलो को चिन्हांकित करता है।

3.1 गलत निर्धारण के मामले

(क) मनोनीत एजेंसियों द्वारा बहुमूल्य धातु के आयात के लिए नीति परिपत्र के गैर अनुपालन के लिए शास्ति का उदग्रहण नहीं

डीजीएफटी का दिनांक 31 मार्च 2009 का परिपत्र प्रावधान करता है कि एनए/पीटीएच/एसटीएच प्रमाणपत्र स्थिति प्रमाणपत्र की वैधता तथा वार्षिक आधार पर एनए के प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक वर्ष नवीकृत किया जाना चाहिए। एनएज से (आरबीआई द्वारा मनोनीत निर्दिष्ट बैंकों के अतिरिक्त) मूल्य वर्धित उत्पाद के निर्यातों के उद्देश्य के साथ साथ घरेलू खपत के उद्देश्य के लिए बहुमूल्य धातु (परिमाण तथा मूल्य दोनो) के आयातों तथा इसके वितरण के अभिलेखों का अनुरक्षण अपेक्षित है। एनए को मासिक आधार पर जीजेईपीसी, मुम्बई को प्रतिफल दायर करना था। परिणामस्वरूप जीजेईपीसी को आंकडे संकलित कर डीजीएफटी (मुख्यालय) को अनुवर्ती महीने के 15 तारीख तक अग्रेषित करना था। प्रत्येक तत्व के आयातों के न्यूनतम 10 प्रतिशत (27 अगस्त 2009 से 15 प्रतिशत) की निर्यातकों को आपूर्ति करनी थी। लेनदेन का पूर्ण विवरण उन मामलों में, जहां एकल आयातक के संबंध में लेनदेनो की संख्या एक महीने में दस लेन देनों से अधिक थी या आयातों का

कुल योग मूल्य ₹ 254 करोड़[9] (यूएस $ 50 मिलियन) से अधिक है, प्रदान करना था। आगे, देखे परिपत्र संख्या 24/2009-14 दिनांक 11 फरवरी 2010, यह स्पष्ट किया गया था कि ऊपर कथित न्यूनतम 15 प्रतिशत अनुबंध अर्ध वार्षिक आधार पर आयातित बहुमूल्य धातु की मात्रा के संचयी संवितरण के संदर्भ में था तथा प्रत्येक प्रेषण के प्रति आयातों के आधार पर नहीं था। दोनों परिपत्र दिनांक 31 मार्च 2009 तथा 11 फरवरी 2010, 1 फरवरी 2011 से वापिस ले लिए गए।

परिपत्र दिनांक 31 मार्च 2009 के अनुलग्नक की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्यातकों को आपूर्ति की गई मात्रा के अभिलेख को दर्शापे के लिए कोई पंक्ति नहीं है, भले ही परिपत्र ऐसा कहता है। मासिक प्रतिवेदन में निर्यातकों को आपूर्ति की गई मात्रा के विवरण की अनुपस्थिति में, यह समझना कठिन है कि कैसे डीजीएफटी निर्यातकों को स्वर्ण की न्यूनतम 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत की आपूर्ति को नियत शर्त की निगरानी करने में सक्षम है। परिशिष्ट 11 में गैर अनुपालन के कुल मामले चिन्हांकित है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि न तो एफटीडीआर अधिनियम के अनुसार शास्ति उद्ग्रहित की गई और न ही डीजीएफटी द्वारा नीति परिपत्र के उल्लंघन के लिए बहुमूल्य धातु आयात का लाईसेंस रद्द किया गया था। यह भी देखा गया था कि मनोनीत एजेंसिया नियमित आधार पर जीजेईपीसी को मासिक प्रतिफल फाईल कर रही थी। मनोनीत एजेंसियों में से किसी ने भी (मै. राजेश एक्सपोर्टस के अतिरिक्त) निर्यातकों को आपूर्ति की गई मात्राओं के ब्यौरे प्रदान नहीं किए थे। उन्होंने लेनदेन जहां मूल्य यूएस $ = ₹ 5 करोड़ से अधिक था, के ब्यौरे भी प्रदान नहीं किए थे।

सीबीईसी ने एसीसी नेदुमबसरी कोचीन के अन्तर्गत मै. एमएमटीसी तथा मै. एसटीसी के संबंध में कहा (दिसम्बर 2015) कि 20:80 योजना से पहले मनोनीत एजेंसी/बैंक द्वारा आयात उचित शुल्क के भुगतान पर था। माल को भंडारित नहीं किया गया था इसलिए सीबीईसी परिपत्रों दिनांक 14 अक्तूबर

[9] 31.3.2009 (डीजीएफटी परिपत्र के जारी होने की तिथि) को 1 यूएस$ = ₹ 50.8761 की विनिमय दर पर आधारित

2009 या डीजीएफटी नीति परिपत्र दिनांक 31 मार्च 2009 के अन्तर्गत कवर नहीं था । एसीसी के माध्यम से निकासी किया गया माल गृह खपत बीई के अन्तर्गत था।

अधिसूचना दिनांक 8 मई 2000 के अनुसार, माल के पुन:निर्यात के लिए नियम 120 दिन या उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त कोई विस्तारित अवधि थी। व्याप्ति उचित अधिकारी द्वारा यथायोग्य अनुमत की गई थी तथा इस कारण से कोई कम उदग्रहण नहीं हुआ।

सीबीईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शुल्क की रियायती दर पर आयात अधिसूचना की शर्तों के अधीन निर्यातकों को कुल आयातों के 15 प्रतिशत की आपूर्ति करनी थी, का अनुमत विषय है। चूंकि शर्त अपूर्ण रहीं, शुल्क की रियायती दर बढाई नहीं जा सकी तथा 578 किग्रा. की मात्रा पर 10 प्रतिशत की दर पर शुल्क मांगा गया था एवं शुल्क का अन्तर वसूलना था। इसके साथ ही, शास्ति निर्धारित की जानी चाहिए थी तथा नीति परिपत्र के उल्लंघन के लिए लगाई जानी थी।

आगे, निर्यातकों को वास्तविक रूप से आपूर्ति किए गए स्वर्ण के केन्द्रीकृत डाटा की अनुपस्थिति में आयातों के 15 प्रतिशत पर उपयोग तत्व लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा गैर अनुपालन के लिए कथित परिपत्र में कोई जुर्माना निर्धारित नहीं किया गया था।

(ख) वित्तीय वर्ष 2012-13 में गोल्ड डोर बार्स का अनियमित आयात

(i) आरबीआई ने, देखे उनका परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2013, देश में स्वर्ण के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए तथा अधिकृत आयातकों द्वारा कुछ शर्तों के पालन के लिए कहा। परिपत्र ने यह भी निर्धारित किया कि भारत सरकार के सीमाशुल्क अधिकारियों/डीजीएफटी को आयात प्रतिबंधो के परिचालन तथा निगरानी के लिए निर्देश, यदि कोई है तो जारी करने है।

आरएलए, मुम्बई के अन्तर्गत प्रतिबंधित मद गोल्ड डोर बार्स के आयात के लिए मै. सीजेईएक्स बायोकैम प्राईवेट लिमिटेड की लाईसेंसधारक फाईल की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि प्रतिबंधित मद गोल्ड डोर बार्स के 2000 किग्रा. के आयात के लिए 12 जुलाई 2013 को प्राधिकरण के लिए आवेदन

फाईल किया गया था। प्राधिकरण 19 अगस्त 2013 को जारी किया गया था। आरएलए मुम्बई द्वारा प्रस्तुत डाटा के अनुसार प्रतिबंधित मद के लिए केवल एक प्राधिकरण/लाईसेंस कथित लाईसेंसधारक को 2010-11 से 2014-15 से जारी किया गया था। यद्यपि, आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज से यह देखा गया कि 2012-13 के दौरान लाईसेंसधारक ने 5.320 किग्रा. के 99.5 प्रतिशत शुद्धता के स्वर्ण बार का आयात किया था। चूंकि, गोल्ड डोर बार्स एक प्रतिबंधित मद है, इस कारण से उपरोक्त गोल्ड डोर बार्स का आयात अनियमित था तथा विदेश व्यापार (विकास विनियम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत शास्ति भी उदग्रहणीय थी।

डीजीएफटी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया था गोल्ड डोर बार्स के लिए आईटीसी (एचसी) संहिता 71021200 है तथा आरबीआई विनियमों के अन्तर्गत यह मद आयात के लिए मुक्त थी इस मद का आयात प्रथम समय के लिए आरबीआई परिपत्र दिनांक 14 अगस्त 2015 के द्वारा प्रतिबंधित था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिबंध 22 जुलाई 2013 से प्रभावी थी।

(ii) मै. पारिख इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इकाई को क्रमश:2000 किग्रा: तथा 7200 किग्रा. के गोल्ड डोर बार्स के आयात के लिए 13 मार्च 2014 तथा 24 जून 2014 को आरए, मुम्बई द्वारा प्राधिकरण जारी किया गया था। यद्यपि, आवेदन के साथ जमा किए गए प्रमाणपत्र दर्शाते है कि लाईसेंसधारक इन सभी प्रमाणपत्रों में स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम, रोडियम तथा आभूषण वस्तुओं के निर्माणकर्ता के रूप में रजिस्टीकृत है तथा शोधनशाला के रूप में नहीं है। चूंकि आरबीआई परिपत्र डीजीएफटी द्वारा जारी लाईसेंसो के आधार पर केवल शोधनशालाओं को गोल्ड डोर बार्स आयात करने की अनुमति दी, अत: कथित लाईसेंसधारक को जारी उपर्युक्त लाईसेंस अनियमित थे।

डीजीएफटी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि मै. पारिख इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करते हुए एक निर्माण करने वाली इकाई के रूप में दस्तावेज जमा किए थे।

डीजीएफटी का उत्तर केवल लेखापरीक्षा आपत्ति को प्रमाणित करता है। विभाग द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई लेखापरीक्षा को सूचित की जा सकती है।

(ग) माल के स्टॉक पर शुल्क गैर भुगतान

सेज नियमावली के अनुसार इकाई सेज से बाहर जाने का चयन कर सकती है तथा ऐसी निकासी आयातित या स्वदेशी पूंजीमाल पर लागू शुल्कों के भुगतान, कच्चा माल, घटको उपभोज्य वस्तुएं, अतिरिक्त पुर्जे तथा स्टॉक में तैयार माल का विषय है।

डीओसी ने 25 अप्रैल 2013 से स्वर्ण पदको तथा सिक्को के निर्माण तथा तराशे तथा पॉलिश किए गए हीरो की 31 दिसम्बर 2013 से एसईजेड इकाईयों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को अस्वीकार कर दिया था।

एमईपीजेड एसईजेड, चेन्नई के अन्तर्गत दो एसईजेड इकाईयों मै. फोरएवर प्रेशियस ज्वैलरी एंड डायमंडस लिमिटेड तथा मै. विनसम डायमंडस एंड ज्वैलरी लिमिटेड (पहले मै. सूरज डायमंडस एंड ज्वैलरी लिमिटेड के नाम से) को प्रारंभिक रूप से सादे स्वर्ण आभूषण के निर्माण तथा निर्यात एवं सीपीडी के व्यापार के लिए एलओए जारी (सितम्बर 2005 तथा अक्तूबर 2006) किया गया था। बाद में, इकाईयों को पहले से ही अनुमत मदों के साथ स्वर्ण सिक्को तथा पदक के निर्माण की अनुमति (सितम्बर 2009) दी गई थी। इकाईयों ने नवम्बर 2005 तथा जनवरी 2007 में व्यापारिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया था।

मंत्रालय के निर्णय के आधार पर, यूएसी ने मई 2013 में स्वर्ण पदकों तथा सिक्कों तथा फरवरी 2014 में सीपीडी की निर्माण गतिविधियों को अस्वीकार करने के द्वारा उचित रूप से एलओएज को संशोधित कर दिया।

इकाईयों ने वर्ष 2013-14 के दौरान उनकी गतिविधियां बन्द कर दी तथा निकासी के लिए आवेदन (अप्रैल 2014) कर दिया, इकाईयों के पास स्वर्ण, चांदी, तॉबा, सीपीडी का स्टॉक था जिनका वजन क्रमश: 541.16 ग्राम, 2509.75 ग्राम, 9732.78 ग्राम तथा 34931.51 कैरेट था, जो वे न तो पुन: निर्यात करने, न डीटीए में निकासी में सक्षम थे। मै. विनसम डायमंडस एंड

ज्वैलरी लिमिटेड ने एमईपीजेड अधिकारियों को स्टॉक के निपटान के लिए अनुरोध भी किया था।

चूंकि 4 फरवरी 2014 से सीपीडी पर व्यापारिक गतिविधि की अनुमति नहीं थी तथा मै. फोरएवर प्रैशियस ज्वैलरी एंड डायमंडस लिमिटेड द्वारा स्टॉक पुन: निर्यातित नहीं किया जा सकता था, ₹41.04 करोड (लगभग) का मूल्यांकित सीपीडी के 34931.51 कैरेट के स्टॉक पर ₹ 1.06 करोड़ का राशि शुल्क वसूली योग्य था। इसके साथ ही विभाग इसकी ओर से मनोनीत एजेंसी को स्वर्ण तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के स्टॉक की आपूर्ति तथा ₹12.46 लाख की राशि के शुल्क की वसूली में असफल रहा।

सीबीईसी ने उनके उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि मै. पंजाब नेशनल बैंक ने इकाईयों के परिसरो को सील कर दिया है तथा इस कारण इन इकाईयों में कोई स्टॉक सत्यापन नहीं किया जा सकता । आगे, सीबीआई, बैंक धोखाधड़ी सैल, मुम्बई ने मै. फोरएवर प्रैशियस ज्वैलरी एंड डायमंडस लिमिटेड तथा मै. विनसम डायमंडस एंड ज्वैलरी लिमिटेड के विरूद्ध मुकदमा दायर किया था तथा मामला जांच के अधीन था। अत: कोई भी कार्रवाई केवल जॉच के सम्पूर्ण होने के बाद ही प्रारंभ की जा सकती है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

(घ) गलत निर्धारण के कारण राजस्व की हानि

बहुमूल्य रत्न (हीरे के अतिरिक्त) तथा अर्ध बहुमूल्य रत्न कार्य या श्रेणीबद्ध किए गए या न किए गए परन्तु बंधे, जडे या जोड़े हुए नहीं, अश्रेणीबद्ध बहुमूल्य रत्न (हीरे के अतिरिक्त) तथा अर्ध बहुमूल्य रत्न, परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से बांधे हुए के विवरण वाला माल, शीर्षक 7103 के अन्तर्गत, शुल्क की मानक दर के लिए उदग्रहणीय है।

दिनांक 1 मार्च 2012 की अधिसूचना के अनुसार, 15 प्रतिशत की दर पर सीमाशुल्क की मानक दर अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले 'तराशे और पॉलिश किये गये रंगीन जैमस्टोन' पर लागू था।

जयपुर में बीई/कुरियर आयात की संवीक्षा में लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि मार्च 2011 से मार्च 2015 के दौरान 215 मामलों में 'तराशे और पॉलिश

किये गये रंगीन जैमस्टोन' आयात किये गये और दिनांक 17 मार्च 2012 और 11 जुलाई 2014 की अधिसूचना के लाभ को गलत रूप से प्रदान करते हुए शुल्क रियायती दर पर निर्धारित किये गये थे। सीमा शुल्क टैरिफ और अधिसूचना में माल के वर्णन में हुई विसंगति को लाभ को आयातक ने उठाया। शीर्ष 7103 के अंतर्गत आने वाले तराशे और पॉलिश किये गये कम कीमती स्टोन टैरिफ दर के अनुसार शुल्क की पूरी दर पर प्रभारित होंगे क्योंकि दिनांक 1 मार्च 2002 की अधिसूचना के अंतर्गत रियायत उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ की कम वसूली हुई।

सीबीइसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना की क्रम सं. 313 के अंतर्गत 'तराशे और पॉलिश किये गये रंगीन जैमस्टोन' में दोनों तराशे और पॉलिश किये गये महगे स्टोन के साथ-साथ तराशे और पॉलिश किये गये कम महंगे स्टोन शामिल हैं। जीजेइपीसी द्वारा इस विचार की पुष्टि भी की गई थी और अधिसूचना के क्रम 313 के अंतर्गत शुल्क सही रूप से प्रभारित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तराशे और पॉलिश किये गये कम महंगे स्टोन टैरिफ दरों के अनुसार शुल्क की पूरी दर हेतु प्रभार योग्य हैं। दिनांक 01 मार्च 2002 की अधिसूचना के अंतर्गत रियायत उपलब्ध नहीं है। तराशे और पॉलिश किये गये कम महंगे स्टोन टैरिफ और अधिसूचना में विवरण में असंगति के कारण गलत रूप से अधिसूचना के लाभ प्रदान करते हुए शुल्क की रियायती दर पर आयात किये गये थे।

(ड) अस्वीकृत आभूषणों के पुन: आयात पर शुल्क उद्ग्रहण न किया जाना

एफटीपी ने जैम्स और ज्वैलरी के निर्यातकों को अस्वीकृत आभूषणों के पुन: आयात के लिए अनुमति प्रदान की।

जयपुर में जैम्स और ज्वैलरी से संबंधित बीई की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि खरीददार ज्वैलरी को खरीददार से प्रत्यक्ष/स्थायी/विक्रय आधार पर निर्यात किया गया था जिसमें माल का स्वामित्व तुरंत खरीददार को चला ही जाता है जैसे ही वह निर्यात किया जाता है और विक्रेता और खरीददार के बीच का संबंध उस वक्त समाप्त हो जाता है जब भुगतान कर दिया जाता है और माल सुपूर्द कर दिया जाता है। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 216

मामलों में निर्यातकों ने विदेशी खरीददारों से प्रत्यक्ष विक्रय पर ज्वैलरी निर्यात की थी यद्यपि इनकों खेप विक्रय दर्शा कर, इनका पुन: आयात किया गया था और शुल्क दर को यह मानते हुए 'शून्य' निर्धारित की गई थी कि माल को खेप विक्रय आधार पर बेचा गया था जो सही नहीं थी। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रत्यक्ष विक्रय पर निर्यातित माल को अंतत: बेचा गया था और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त की गई थी। इस प्रकार, पुन: आयात के समय पर, माल पर शुल्क की पूर्ण दर प्रभारित कर नये सिरे से निर्धारण किया जाना अपेक्षित था। गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ की शुल्क राशि का उद्ग्रहण नहीं किया जा सका।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि माल को विक्रय आधार या खेप आधार पर निर्यात किया गया था न कि गंतव्य पत्तन पर सुपूर्द किया गया था। पुर्वआयात यह स्थापित करने के पश्चात कि जो माल निर्यात किया गया था वह एक समान है एफटीपी एवं एचबीपी प्रावधानों के अनुसार अंनुमत था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एचबीपी के अनुसार, साधारण/जड़ित महंगी धातु आभूषणों के निर्यातक को आगामी लाइसेंस वर्ष में निर्यात के एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत तक खरीददार द्वारा खारिज की गई और वापस की गई शुल्क मुक्त आभूषणों के पुन: आयात की अनुमति है। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि निर्यातकों ने प्रत्यक्ष विक्रय आधार पर आभूषणों का निर्यात किया था और माल का स्वामित्व तब तुरंत खरीददार को हस्तांतरित हो जाता है जब वह विक्रय आधार पर निर्यात किया जाता है। ऐसे मामलों में भुगतान भी प्राप्त किये गये थे। इसलिए प्रत्यक्ष विक्रय पर निर्यातित माल को पुन: आयात किये जाने के समय पर नये सिरे से निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) ईपीसीजी योजना के अंतर्गत अनियमित डीटीए मंजूरी के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण

सेज के निर्गम से संबंधित सेज नियमावली, 2006 दर्शाती है कि इकाई को डीसी के अनुमोदन से सेज से बाहर किया जा सकता है और ऐसा निर्गम आयातित या स्वदेशी पूँजीगत माल, कच्चा सामान, संघटक, उपभोग्य, पूर्जे और स्टॉक में तैयार माल पर लागू शुल्कों के भुगतान के अंतर्गत होंगे,

यद्यपि वह इकाई जिसने सकारत्मक एनएफई प्राप्त नहीं किये गये, उस निर्गम पर वह जुर्माना लगाया जाएगा जो कि एफटी (डीएंडआर) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत उस पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त, एकल समय विकल्प के रूप में, डीसी योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंड पूरा करने वाली इकाई के अंतर्गत ईपीसीजी योजना के अधीन पूँजीगत माल पर शुल्क के भुगतान पर सेज़ जोन से निर्गम के लिए इकाई को अनुमति प्रदान कर सकता है।

मै. श्री गणेश ज्वैलरी हाऊस लिमिटेड (इकाई । और इकाई ।।।), मणीकंचन सेज ने ईपीसीजी योजना के अंतर्गत ₹ 1.56 लाख की तीन प्रतिशत रियायती शुल्क के भुगतान पर अपनी डीटीए इकाई के लिए इकाई के पूंजीगत माल मंजूर किया, सेज योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात किया ईपीसीजी योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल (सीजी) की डीटीए मंजूरी सेज नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था क्योंकि उक्त पूंजीगत माल के हटाये जाने के समय पर सेज योजना न तो निर्गम न ही डिबोंडिंग कर रही थी। इसलिए सेज से डीटीए को शुल्क मुक्त खरीदी गई सीजी की कोई भी मंजूरी के समय पर पूर्ण शुल्क के भुगतान पर दी जानी चाहिए और ईपीसीजी योजना के अंतर्गत रियायती दर के भुगतान पर नहीं दी जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.69 करोड़ तक शुल्क का कम उद्ग्रहण किया गया।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(छ) पुन: निर्यात विवरण के अभाव में पूर्व-निर्धारित शुल्क की गैर-वसूली

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत, सीमाशुल्क के आयात शुल्क सभी आयात सामान पर उद्ग्राह्य हैं, और कोई अंतर नहीं किया जाता है चाहे निर्यात किये जाने वाला माल पूर्ववत ही शुल्क प्रभारित हो; विशेष उद्देश्यों हेतु निर्यात किये जाने के बाद पुन: आयात किये जा रहा हो। इसी प्रकार, चाहे माल को स्वदेश में ही निर्मित किया गया है या शुल्क वापसी दावे या किसी निर्यात प्रोत्साहन दावे के बिना भी जिसे विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत पहले ही निर्यात किया जा चुका था, जब ये पुन: आयात किये जाते है तो आयात किये जाने वाले माल पर सीमाशुल्क उद्ग्राह्य होगी जब तक कि छूट अधिसूचना जारी नहीं की जाती।

भारत विनिर्मित माल या इसका कोई भाग मरम्मत/पुन: ठीक करने/पुन: प्रसंस्करण/परिष्कृत करने/पुन: निर्माण हेतु जिसका पुन: आयात किया जाता है, वे वह शर्त सहित शुल्क से छूट प्राप्त होगा कि पुन: आयात विनिर्दिष्ट अवधि में किया जाएगा, माल के पुन: आयात के छ: महीनों के अंदर उसे पुन: निर्यात किया जाएगा; सीमाशुल्क के सहायक/उप कमिश्नर माल की पहचान के संबंध में संतुष्ट है, और बांड को लागू करने सहित पुन: निर्यात की विशेष अन्य शर्तें पूरी की गई है।

एसीसी, बैंगलोर में बीईज़ की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नौ[10] आयातकों ने मरम्मत और वापसी, प्रदर्शनी और वापसी हेतु 32 बीईज़ द्वारा ₹ 10.07 करोड़ के पूर्व निर्धारित किये गये शुल्क ₹ 34.26 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले माल का सीटीएच के अध्याय-71 के अंतर्गत पुन: आयात किया। यद्यपि, उनके पुन: निर्यात के विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये थे। पुन: निर्यात प्रमाण के अभाव में, पूर्वनिर्धारित शुल्क राशि वसूली योग्य है।

अपने उत्तर में सीबीईसी ने कहा (दिसम्बर 2015) कि निर्यातित माल प्रदर्शनी और अन्य उद्देश्यों के लिए ज्वैलरी थीं, दिनांक 16 दिसम्बर 2015 की अधिसूचना; जो कि बाद की पुन: निर्यात की शर्तों को विनिर्दिष्ट नहीं करती हैं, के अंतर्गत पात्रता छूट प्राप्त करते हुए भारत में पुन: आयात किया गया।

उपरोक्त सीमाशुल्क अधिनियम के प्रावधान के मद्देनजर उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

(ज) घरेलू उद्देश्य हेतु आयातित सोने की छड़ो की अनियमित मंजूरी

दिनांक 14 सितम्बर 2013 के सीबीईसी परिपत्र के साथ पठित दिनांक 14 अगस्त 2013 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार, सेज़ इकाईयां, इओयू, पीटीएच और एसटीएच केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए अनन्य रूप से सोना आयात कर सकती हैं और ये सत्त्व निर्यात (इस पर ध्यान दिये बिना कि क्या

[10] मै. अनमोल स्वर्ण (इंडिया) प्रा. लि., मै. सी. कृष्णा चेट्टी एंड संस प्रा. लि., मै. फेसे डायमंड प्रोसैसिंग प्रा. लि., मै. इंडो स्टार, मै. निशा ज्वैल डिजाईनर, मै. पिकोक ज्वैलरी लि., मै. सु.रज डायमंड एंड ज्वैलरी लि., मै. टाईटन इंडस्ट्रीज लि., मै. विसम डायमंडस एंड ज्वैलरी लि.

ये नामित एजेंसिया है या नहीं) की अपेक्षा किसी अन्य उद्देश्य के लिए आयातित सोने की मंजूरी की आज्ञा नहीं देंगे।

मै. श्री गणेश ज्वैलरी हाऊस (।) लि. कोलकाता, ने 26 अगस्त 2013 को कोलकाता (हवाई अड्डा) से सोने की छडो (125 किग्रा.) की एक खेप आयात की। यद्यपि 125 किग्रा में से, 100 कि.ग्रा. की सोने की छड़े उपरोक्त प्रतिबंधित शर्तों के विपरीत क्रमश: ₹ 2.33 करोड़ तथा ₹ 77.58 लाख की सीमा शुल्क के भुगतान के प्रति 30 अगस्त 2013 पर प्रविष्टि की दो एक्स-बांड बिलों के अंतर्गत घरेलू उद्देश्य के लिए मंजूरी दी गई थी। शुल्क निर्धारण करते समय, सीमा शुल्क विभाग द्वारा घरेलू मंजूरी के लिए उक्त प्रतिबंधों की अनेदेखी भी की गई।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.2 छूटों की अनियमित मंजूरी के मामले

(क) जैम भराई लाइसेंसों की अधिक मंजूरी

एचबीपी के अनुसार, जैम भराई प्राधिकरण महंगे स्टोन, कम मंहगे और सिंथेटिक स्टोन और पर्ल मोतियों के आयात के लिए वैध होंगे। एफटीपी दर्शाता है कि जैम भराई प्राधिकरण एचबीपी के परिशिष्ट में दिये गये स्केल के अनुसार उपलब्ध होंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 25.23 करोड़ की सीआईएफ मूल्य की जैम भराई प्राधिकरण योजना के अंतर्गत आरएलए मुंबई ने 86 लाइसेंस प्राधिकृत किये। ये लाइसेंस एचबीपी के दिये गये मानदंड के अनुसार एफओबी मूल्य के 60 प्रतिशत की अपेक्षा मोतियों के किये गये निर्यात के कुल एफओबी मूल्य के 65 प्रतिशत की दर पर सीआईएफ मूल्य के प्राधिकरण हेतु अनसेट/अनड्रिलिड असली और कृत्रिम मोतियों के आयात के लिए जारी किये गये थे। इस कारण ₹ 1.94 करोड़ के सीआईएफ मूल्य की अधिक अनुज्ञप्ति हुई।

इसी प्रकार, मै. मेहर चंद जैन एंड संस, आरएलए जयपुर के मामले में वर्ष 2011-12 में 11 एसबी द्वारा निर्यातित सोने और चाँदी के आभुषणों के लिए ₹ 2.15 करोड़ के जैम आरईपी अधिकार पत्र जारी किये जिनके प्रति ₹ 3.75

करोड़ वसूल किये गये। हकदारी मानदंड के अनुसार, निर्यातक ₹ 1.87 करोड़ अर्थात वसूले गये एफओवी मूल्य के 50 प्रतिशत के लिए हकदार था। इस प्रकार, ₹ 28.15 लाख तक जैम भराई लाइसैंस की अधिक मंजूरी दी गई थी।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि अधिक हकदारी को सौंपने के लिए आरए, मुंबई के अंतर्गत मामलों के संबंध में अधिकार-पत्र धारकों से एफटीडी और आर अधिनियम, 1992 के अंतर्गत एससीएन जारी किया गया था।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सौंप दिये जाएंगे।

(ख) डीएफआईए के अंतर्गत मूल्यवर्धन का प्राप्त न होना

₹ 1,262.21 करोड़ के सीआईएफ मूल्य हेतु 48.09.180 कि.ग्रा. की सोने की छड़ों के आयात के लिए जेडीजीएफटी, बैंगलोर द्वारा 14 अगस्त 2013 को डीएफआईए लाइसेंस राजेश एक्सपोर्ट को इस शर्त पर जारी किया था कि आयातक को ₹ 1,281.16 करोड़ के एफओबीमूल्य के ''99.5 प्रतिशत और इससे अधिक उत्कृष्टता के सोने के सिक्के'' के 4797.188 कि.गा. निर्यात करने आवश्यक हैं। सीआईएफ और एफओबी मूल्य को क्रमश: ₹ 1,262.21 करोड़ और ₹ 1,400.61 करोड़ को आगे संशोधित किया (12 सितम्बर2013)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 11 बीई द्वारा 4809.1725 कि.ग्रा. की सोने की छड़े आयातक द्वारा यूएसडी 213298479.9 के सीआईएफ मूल्य हेतु एसीसी, बैंगलोर द्वारा आयात की गई थीं। उक्त माल पर पूर्व निर्धारित शुल्क ₹ 405.07 करोड़ था। एचबीपी के अनुसार, यूएसडी 216497957 का मूल्यवर्धन प्राप्त किया जाना है। आयातक ने निर्यात किया (11 एसबीज़ द्वारा) और यूएसडी 49592 (₹ 29.58 लाख लगभग) की कम वसूली करते हुए यूएसडी 216448365 की वसूली की।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2016)।

(ग) मूल्य वर्धन की प्राप्ति न होना

एफटीपी के अनुसार 'विदेशी खरीददार द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यात' हेतु योजना के अंतर्गत नामित एजेंसी या स्टेटस धारक द्वारा जब भारत में आयात किया गया, तो उस पर उद्ग्राह्य कुल सीमाशुल्क और सीमाशुल्क का

अतिरिक्त शुल्क से इसे दिनांक 5 मई 2000 की अधिसूचना सीटीएच के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वालीसोना/चांदी प्लेटिनम आदि को छूट प्रदान करती है। एफटीपी में निर्धारण के अनुसार मूल्य वधर्न या निर्यात दायित्व को पूरा न करने के मामले में, स्टेटस धारक को शुल्क भुगतान की तिथि तक शल्क मुक्त आयात की तिथि से 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज सहित उक्त आयात पर शुल्क अदा करना होगा।

इसके अतिरिक्त, एचबीपी के अनुसार, 3 प्रतिशत का न्यूनतम मूल्य वर्धन सामान्य सोने के आभूषणों पर अपेक्षित थी।

(I) एक एसटीएच मै. श्री गणेश ज्वैलरी हाऊस (ई) लिमि., कोलकाता ने 25 कि.ग्रा. की सोने की छड़ों (कुल पूर्व निर्धारित शुल्क राशि- ₹ 77.07 लाख) का शुल्क मुक्त मंजूरी प्रदान की।

आयात ने निर्यात ने प्रमाण के रूप में दिनांक 07 सितम्बर 2013 की एसबी प्रस्तुत की। यद्यपि, 12/2014 को समाप्त अवधि बकाया निर्यात वसूली विवरण (एक्सओएस) के अनुसार, उक्त एसबी में निर्दिष्ट ₹ 10.13 के निर्यात की एक ओबी मूल्य की निर्यात वसूली नहीं की गई। इसलिए, निर्यात मूल्य वर्धन हेतु नहीं आंका गया था। इस प्रकार, आयातक को ₹ 29.81 लाख के ब्याज सहित ₹ 77.07 लाख के कुल हुए प्राप्त शुल्क को अदा करना था।

इसके अतिरिक्त, निर्यात बीजक की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उपर्युक्त एसबी के अंतर्गत निर्यात द बैंक आफ नोवा स्कोटिया, मुंबई से खरीदी गई अन्य 10 कि.ग्रा. की सोने की छड़ों के प्रति था। एसबी के प्रति कोई निर्यात वसूली नहीं की गई थी, इस सोने के प्रति निर्यात दायित्व (अर्थात मूल्य वर्धन) पूरे नहीं किया गया था जिसके लिए लागू ब्याज के साथ शुल्क छूट वसूली योग्य थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(II) मै. इडसइंड बैंक लिमि., कोलकाता और मै. इडलवैस कमोडीटीज़ सर्विसेज लिमिटेड (एनए/एसटीएच क्रमश:) ने आयातक नामश: मै. इडंलवैस कमोडिज़ लिमिटेड और मै. इडलवैस कमोडीटीज़ सर्विसेज लिमिटेड ने क्रमश: भंडारित निर्यातित 100 कि.ग्रा. और 20 कि.ग्रा. की सोने की छड़े शुल्क मुक्त

प्रदान की। उपर्युक्त निर्दिष्ट आयातकों ने सामान्य सोने के आभुषण निर्यात किये परंतु अपेक्षित 3 प्रतिशत का न्यूनतम मूल्य वर्धन प्राप्त करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप एनए/एसटीएच से वसूली योग्य लागू ब्याज के साथ ₹ 3.22 करोड़ के अनुपातिक शुल्क छोड़ा गया।

(III) मै. श्रीनुज एंड कंपनी लिमि. (ट्रेडिंग खंड) इकाई ने तराशे और पॉलिश किये गये डायमंड, सामान्य और जड़ित सोने और प्लेटिनम तथा चांदी के आभुषण, धातु और उपयोग योग्य व्यापार गतिविधियों हेतु 08 मई 2003 को एक एलओए जारी किया तथा उक्त को ट्रेडिंग इकाई से निर्माण इकाई में बदलने की पांच वर्ष की आगामी अवधि हेतु 08 अप्रैल 2013 तक आगे बढ़ा दिया। यद्यपि, इकाई द्वारा दाखिल की गई 2013-14 की एपीआर से पता चला कि 2013-14 के दौरान विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन अर्थात जड़ित आभूषणों के निर्यात हेतु 5 प्रतिशत ₹ 17.64 करोड़ तक कम था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(घ) एनएफई की प्राप्ति

(i) एक सेज इकाई मै. राजेश एक्सपोर्ट लिमि. ने 15 नवम्बर 2007 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया। इकाई ने यूएस डॉलर के परिवर्तन हेतु आरबीआई दैनिक संदर्भ दर अपनाते हुए रूपये के रूप में 2007-08 से 2011-12 (सितम्बर 2012 तक) की अवधि हेतु एपीआर प्रमाणित सीए प्रस्तुत किया और एनएफई को सकारात्मक दर्शाया तथा एलओए के नवीकरण हेतु आवेदन किया। डीसी, सीएसईजैड ने आवेदन स्वीकार किया तथा 15 नवम्बर 2012 से प्रभावी पांच वर्षों की आगामी अवधि हेतु वैधता को आगे बढ़ाया।

डीसी, सीएसईजैड (जनवरी 2013) ने इकाई के निष्पादन की समीक्षा हेतु प्राधिकृत बैंक द्वारा प्रमाणित कंप्यूटेशन सहित डालर के रूप में एपीआर प्रमाणित सीए फाईल करने के लिए इकाई को निदेश दिये। यद्यपि, इकाई ने आवश्यकतानुसार प्राधिकृत बैंक द्वारा प्रमाणित डाटा प्रस्तुत नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने आयात और निर्यात के विवरण प्रस्तुत किये तथा आरबीआई संदर्भ दर पर आधारित पांच वर्षों के ब्लॉक हेतु ₹ 118.66 करोड़ के सकारात्मक एनएफई का दावा किया।

सीएसइजैड द्वारा उपलब्ध कराये गये सोने के आयात और निर्यात से संबंधित डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा तथा इकाई के स्टॉक रजिस्टर से पता चला कि वस्तविक रूप से इकाई ने ₹ 87,150.37 करोड़ के कुल सीआईएफ मूल्य वाले 456862.08 कि.ग्रा. सोना आयात किया जिसके प्रति 15 नवम्बर 2007 से 14 नवम्बर 2012 तक की अवधि हेतु ₹ 85,541.26 करोड़ के एफओबी मूल्य सहित 456862.08 कि.ग्रा. के आभूषण इकाई ने निर्यात किये। स्टॉक रजिस्टर के अनुसार पांच वर्षों के प्रथम ब्लॉक के अंत में सोने का क्लोजिंग स्टॉक 4.02 कि.ग्रा. था। इस प्रकार, इकाई वसूली योग्य तथा एफटी (डीएंडआर) अधिनियम के अनुसार, ₹ 215.92 करोड़ के साथ ₹ 1609.10 करोड़ तक सकारात्मक एनएफई प्राप्त करने में विफल रही। विभाग सेज के पास उपलब्ध डाटा से इकाई द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण का प्रति-सत्यापन करने में विफल रहा।

चूंकि इकाई डीसी के निदेशों तथा मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रही, अनुमोदन समिति द्वारा 15 नवम्बर 2012 से आरंभ 5 वर्ष की आगामी अवधि हेतु मंजूर किया गया अतिरिक्त समय अनियमित था। इसके विपरीत, एलओए को रद्द किया जाना चाहिए था क्योंकि इकाई ने एनएफई की प्राप्ति से संबंधित गलत सूचना प्रस्तुत कर तथ्यों को अनुचित ढंग से प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त समय प्राप्त करने के बाद, इकाई ने 38037.838 किग्रा. सोने का आयात किया जिस पर पूर्व निश्चित शुल्क ₹ 594.33 करोड़ था जिसे ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है क्योंकि दिया गया अतिरिक्त समय अनियमित था।

इसी प्रकार, कोचीन सेज में मै. एसजेआर कमोडिटीज़ और कंसल्टेंसिज़ प्रा. लिमि., कोहीनूर डायमंडस प्रा. लिमि., जेआर डायमंड्स प्रा. लिमि., और सु-रज ज्वैलरी (इंडिया) लिमि. सोने के सिक्कों के केवल निर्माण सहित सोने में ट्रेडिंग गतिविधियां अनुमत न करते हुए दिनांक 25 अप्रैल 2013 के मंत्रालय के निर्णय के परिणामस्वरूप 2013 में सेज योजना से बाहर निकल गये। उपर्युक्त सभी इकाईयों ने सेज में कार्य करने के 2-3 वर्ष पूरे किये थे और उनके द्वारा फाईल किये गये एपीआर के अनुसार एनएफई नकारात्मक थे।

इकाईयों ने पूर्ण निर्यात नहीं किया था और निर्यातित माल का मूल्य वसूल नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक एनएफई की प्राप्ति नहीं हो सकी तथा इसके परिणामत: इकाईयों को ₹ 24.45 करोड़ का शुल्क अदा करना था। इसके अतिरिक्त, इन इकाईयों पर एफटी (डीएंडआर) अधिनियम 1992 के अंतर्गत शास्ति कार्रवाई की जानी थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ii) लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एनसेज, नोयडा के अंतर्गत मै. एसआरएस लिमि.ने एपीआर में वर्ष 2013-14 हेतु सेज डाटा के अनुसार ₹ 329.17 करोड़ के स्थान पर ₹ 337.50 करोड़ की राशि के निर्यात दर्शाये थे। इसके परिणामस्वरूप एपीआर में ₹ 8.33 करोड़ के एनएफई राशि अधिक रिपोर्ट की गई।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(iii) डीसी (सुरसेज), सचिन, सुरत के अंतर्गत आने वाले मै. श्री नानशारदा ज्वैलरी के दो डिवीजन थे, एक निर्माण के लिए और दूसरी ट्रेडिंग के लिए जिसके लिए अलग-अलग एपीआरज़ फाईल किये गये थे। 2012-13 और 2013-14 की अवधि हेतु ट्रेडिंग डिवीजन के लिए फाईल की गई एपीआर की संवीक्षा से पता चला कि एनएफई ₹ 2.01 करोड़ (नकारात्मक) था। यद्यपि, इकाई ने अपनी एपीआर में ₹ 2.06 करोड़ (सकारात्मक) के रूप में संचयी एनएफई रिपोर्ट की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.07 करोड़ तक एनएफई को अधिक बताया गया।

डीसी (सुरसेज), सचिन, सुरत ने उत्तर दिया (जून 2015) कि सेज अधिनियम और नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत, इकाई को केवल सकारात्मक एनएफई अर्जक होना आवश्यक है और अलग-अलग विभिन्न गतिविधियों हेतु सकारात्मक एनएफई प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

विभाग का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि अलग से पंजीकृत विनिर्माण और ट्रेडिंग इकाईयों के एनएफई को अलग एनएफई प्राप्त करने होंगे।

(iv) मै. अभिनंदन एक्सपोर्टस, एक सुरसेज इकाई एफओबी मूल्य को ध्यान में रखने की वजाय 2011-12 से 2013-14 के दौरान एनएफई संगणना करते

हुए मालभाड़ा और विनिमय दर अस्थिरता सहित कुल वसूली गई राशि प्राप्त की जिसके कारण ₹ 1.96 करोड़ के एनएफई की अधिक संगणना की गई।

इंगित किये जाने पर (जून 2015), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2015) कि इकाई को संशोधित एपीआर फाईल करने का निदेश दिया गया है।

अंतिम निषकर्ष लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

(v) डीसी(सुरसेज), सचिन सुरत के अंतर्गत आने वाले मै. फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल ने 2013-14 के दोरान नोवा सकोटिया बैंक से ₹ 12.05 करोड़ का सोना खरीदा जिसे एवीआर में दर्शाये गये आयात की सीआईएफ मूल्य में दर्शाया नहीं गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.05 करोड़ तक एनएफई अधिक सूचित किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2015), डीसी (सुरसेज), सचिन, सुरत ने उत्तर दिया (जून 2015) कि इकाई को संशोधित एपीआर फाईल करने का निर्देश दिया गया है।

इसी प्रकार, रेंज-I, सिटी प्रभाग, भावनगर के क्षेत्राधिकार में आती है, एक 100 प्रतिशत ईओयू मै. रिनेसांस ज्वैलरी लिमि. ने एमएमटीसी और बैंक से ₹ 130.34 करोड़ मूल्य की सोने के छड़े खरीदी जिसमें आयातों के सीआईएफ मूल्य शामिल नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 130.34 करोड़ तक संचयी एनएफई को अधिक सूचित किया गया। इस प्रकार, एपीआर ने इकाई का वास्तविक निष्पादन नहीं दर्शाया, एनएफईई को एपीआर में उचित रूप से नहीं बताया गया था। विभाग के पास एपीआर में डाटा के सटीकता के सत्यापन के लिए कोई तंत्र नहीं था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(vi) इसी प्रकार डीसी सेज । और डीसी सेज ॥, जयपुर के अंतर्गत नौ इकाईयों ने या तो आयात के सीआईएफ मूल्य में नामित एजेंसियों/सेज इकाईयों से उनकी खरीद शामिल नहीं की या एफओवी मूल्य में प्रदर्शनी/नमूने जिसे भारत में आयात किया गया था के संबंध में निर्यात के मूल्य को शामिल कर ₹ 27.52 करोड़ तक उनका एनएफईई को अधिक बताया गया था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(vii) दिनांक 20 नवम्बर 2012, 20 मई 2013 और 20 नवम्बर 2014 के आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, निर्यात तिथि से 12 महीनों की अवधि में वसूल किये जाने थे ताकि विदेशी विनिमय का सही मूल्य एनएफई गणना के उद्देश्य हेतु प्राप्त किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन सुर सेज इकाईयो, कासेज गांधीधाम के अंतर्गत इओयू मे एक इका, सेज जयपुर मे छह इकाइयो लखनऊ मे सात इकाइयां, और मानिकचर सेज कोलकाता मे चार इकाइयो के निर्यात की वसूली अनुमत सीमा से विलंब से की गई थी। निर्यात लाभ की कुल राशि जिसकी वसूली लंबित थी ₹ 3,978.27 करोड़ थी (परिशिष्ट 12)।

इसे इंगित किये जाने पर (मई-जुलाई 2015), डीसी सुरसेज सचिन सूरत ने उत्तर दिया (जून 2015) कि उन्होंने लंबित वसूली निर्यात लाभ के संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि इकाईयों ने सूचित किया है कि मामला आरबीआई और इकाई के प्राधिकृत बैंक के विचाराधीन था। अत: विभाग ने मामले को अंतिम रूप देने के लिए तीस दिनों की अनुमति दी थी, जिसमें असफल रहने पर एससीएन जारी किया जाएगा। अन्य डीसीज़ से उत्तर प्रतीक्षित है।

(ड) ईपीसीजी लाइसेंस के ईओ का गलत निर्धारण

कोई ईपीसीजी अधिकार पत्र धारक अधिकार-पत्र जारी करने की तिथि से 8 वर्षो मे पूरी की जाने वाले ईपीसीजी योजनाओं के अंतर्गत आयातित पूंजीगत माल पर बचाया गया शुल्क से 8 गुणा के समान निर्यात दायित्व सहित शून्य और 3 प्रतिशत सीमाशुल्क कंप्यूटर साफ्टवेयर प्रणाली सहित उत्पादन-पूर्व उत्पादन और पश्च उत्पादन के लिए पूंजीगत माल का निर्यात अनुमत किया।

आरएलए मुंबई के रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान ईपीसीजी लाइसेंस हेतु आवेदन भरते समय प्राप्त किये गये ईपीसीजी लाईसेंस पूंजीगत सामान (मै. सरीन टेक्नॉलाजिज लिमि., ईजरायल से आयातित डायमंड स्कैनिंग मशीन) के मूल्य को गलत घोषित किया। मै. सरीन टेक्नॉलाजिज लिमि., ईजरायल ने मशीनरी के बीजक अलग-अलग कर दिये और 2012-13 तक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हेतु दो अलग

बीजक अलग-अलग प्रस्तुत किये तथा आवेदन भरते समय इओ की संगणना हेतु हार्डवेयर बीजकों का लाइसेंस प्राप्तकर्त्ता ने ध्यान रखा तथा उक्त को ही आरएलए मुंबई द्वारा स्वीकृत किया गया था। अत: घटाये गये सीआईएफ मूल्य पर राशि को ध्यान में रखते हुए 2012-13 तक मशीनरी हेतु लाइसेंस जारी किये गये इसलिए निम्न स्तर पर ही निर्यात दायित्व निर्धारित किये। सॉफ्टवेयर बीजक को विचाराधीन न रखने के कारण बारह लाइसेंस प्राप्तकर्त्ताओं (परिशिष्ट 13) को जारी किये गये लाइसेंस के प्रति ईओ को ₹ 177.85 करोड़ तक कम निर्धारित किये गये। विभाग सभी अधिकार-पत्रों की समीक्षा कर सकता है और लेखापरीक्षा के लिए सूचना के अंतर्गत ईओ संशोधित कर सकता है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि डीजीसीईआई ने सेवा कर की मांग वाले सभी मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किये। डीआरआई ने सीमा शुल्क की मांग वाले सभी मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किये। विषय जटिल है क्योंकि पहली नजर में दोनों आधार ही तर्कसंगत प्रतीत होते है। उक्त लेन-देन पर दो करों का उद्ग्रहण कानून रोक नहीं लगा सकता है। बीएसएनएल के प्रसिद्ध मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वैट और सेवा कर उक्त लेन-देन पर उद्ग्रहण किया जा सकता है।

ईपीसीजी लाइसेंस के निर्यात दायित्व की गणना करते समय सॉफ्टवेयर के सीआईएफ मूल्य को शामिल न करने के मामले पर विभाग का उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है।

(च) ईपीसीजी लाईसेंसों के कारण एईओ का कम निर्धारण

ईपीसीजी अधिकार पत्र जिसे प्राप्त नहीं किया गया था; के प्रति किये गये एचबीपी निर्यात के अनुसार, बाद के ईपीसीजी अधिकार पत्र के उद्देश्यों के लिए औसत निर्यात निष्पादन की गणना के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि इपीसीजी लाइसेंस निर्यात दायित्व को पूरा करने के बावजूद लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं भर रहे थे क्योंकि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन भरने के लिए एफटीपी के साथ-साथ एचबीपी में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। इसके कारण बाद के लाईसेंसों

में औसत निर्यात दायित्व कम निर्धारित किये गये। हमारे विचारानुसार निर्यात दायित्व के पूरा होने के बाद ईपीसीजी लाइसेंसों को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा आरंभ की जा सकती है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि 18 अप्रैल 2013 को संशोधित ईपीसीजी योजना के मामले पर विचार किया गया और अब किसी ईपीसीजी लाइसेंस के प्रति विशिष्ट निर्यात दायित्व को पूरा करने के प्रति किये गये सभी निर्यात औसत निर्यात दायित्व की गणना के लिए नहीं आके जाएंगे।

डीजीएफटी का उत्तर ईओ को पूरा करने के बाद ईपीसीजी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए समय-सीमा प्रदान करने के मामले को नहीं दर्शाता। इससे ईओडीसी लंबित पड़े रहेंगे जिसका प्रभाव सीमा-शुल्क विभाग द्वारा बांड के प्रबंधन और डीजीएफटी द्वारा लेन-देन को बंद करने के प्रबंधन पर पड़ता है।

(छ) ईपीसीजी लाइसेंसों को रद्द न करना

एफटीपी और एचबीपी ने कहा कि ईपीसीजी लाइसेंस धारकों (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में पंजीकृत हो या न हो) को आयात की पूर्णता की तिथि से छः महीनों के अंदर लाईसेंस धारक या उसके सहायक निर्यात की फैक्टरी/प्रांगण पर पूंजीगत माल के संस्थापन की पुष्टि करते हुए क्षेत्राधिकारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रमाण पर प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा से पता चला कि आरएलए जयपुर के अंतर्गत जैम्स और ज्वैलरी के पांच निर्यातक 31 मार्च से 3 मार्च 2009 के दौरान जारी किये गये छः ईपीसीजी लाईसेंसों[11] के अंतर्गत आयात पूरे करने की तिथि से छः महीनों के अंदर संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों/सनदी अभियंताओं से ईपीसीजी के अंतर्गत आयातित पूंजीगत माल का संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे। विभाग ने लाइसेंस/अधिकार पत्र जारी करने की तिथि से छः से नौ वर्षों के बीच तक चूकपूर्ण अवधि के विलंब के बाद भी लाइसेंस के प्रति

[11] 1330001289/31.05.06, 1330001574/23.03.07, 1330001812/20.03.08, 1330001807/19.03.08, 1330002004/16.01.09 और 1330002050/09.03.09

कोई कार्रवाई नहीं की। एचवीपी की शर्तों को पूरा करने में असफल रहने पर लाईसेंस को रद्द किया जाना था और ₹ 55.79 लाख का बचाया गया सीमाशुल्क ब्याज सहित वसूली योग्य था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ज) ईपीसीजी लाइसेंस की गलत प्राप्ति

एचबीपी के अनुसार, अधिकार-पत्र धारकों को निर्यात दायित्व पूर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने थे। इसके अतिरिक्त, ईपीसीजी अधिकार-पत्र जिन्हें प्राप्त नहीं किये गये थे, के प्रति किये गये निर्यात को बाद के ईपीसीजी अधिकार-पत्र के उद्देश्य के लिए औसत निर्यात निष्पादन की संगणना के लिए नहीं जोड़ा गया था।

गलत प्राप्ति का एक मामला आरएलए जयपुर में पाया गया था। 14 नवम्बर 2005 को मै. सिल्वैक्स एंड कं. इंडिया लिमि. ₹ 4.54 लाख की बचाई गई राशि सहित ईपीसीजी लाइसेंस जारी किया गया था जिसके लिए ईओ और एईओ क्रमश: ₹ 27.24 लाख और ₹ 5.78 करोड़ निर्धारित किये गये थे और 2009 में लाइसेंस भुनाया गया था। लाइसेंस के प्रति आयातित मशीनरी 18 अप्रैल 2006 को संस्थापित की गई थी। यद्यपि, लाईसेंस प्राप्तकर्त्ता ने इओ पूरा करने के लिए 19 अप्रैल 2005 से 12 अप्रैल 2006 से संबंधित एसबी प्रस्तुत किये, जो मशीनरी के संस्थापन की तिथि से पहले था और ईओ की पूर्णता के लिए पूरा नहीं माना जा सकता था। इसके परिणाम स्वरूप ईपीसीजी लाइसेंस की गलत प्राप्ति हुई।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

3.3 अधिनियम, नियम, निर्देशों एवं संचालन शर्तों का उल्लंघन

(क) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की अननुपालना

जेडीजीएफटी ₹ 1,000 करोड़ तक लाइसेंस जारी करने के लिए सशक्त है। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एक लाईसेंस (सं.0710107785/10.03.15) सोने की छड़े आयात करने के लिए ₹ 1,690.02 करोड़ के सीआईएफ मूल्य हेतु मै. राजेश एक्सपोर्ट प्रा. लिमि., बैंगलोर को जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी अवलोकन किया गया था कि अन्य दो मामलों

में,जेडीजीएफटी ने अन्य दो फाइलों के संबंध में अनुमोदन प्राप्त करते हुए डीजीएफटी, नई दिल्ली को एक पत्र लिखा। यद्यपि, मै. राजेश एक्सपोर्ट प्रा. लिमि. को जारी किये गये लाइसेंस के मामले में जेडीजीएफटी द्वारा ऐसा कोई अनमोदन प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए, मै. राजेश एक्सपोर्ट प्रा. लिमि. को जारी किया गया लाइसेंस अनियमित था। विभाग लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए इस मामला में सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2015) कि आरएलए बैंगलोर से विवरण मंगाये गये हैं। कार्योत्तर अनुमोदन हेतु डीजीएफटी को मामला प्रस्तुत किया गया था।

अंतिम निष्कर्ष लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

(ख) विनिर्दिष्ट समय सीमा के अधिक होने से खारिज आभूषणों का पुन: आयात

एचवीपी के अनुसार, सामान्य/जडित महंगी धातु आभूषणों के निर्यातक पूर्व लाइसेंस वर्ष (पूर्व वर्ष के निर्यात की सीए प्रमाणित प्रति के आधार पर) में निर्यात के एफओबी मूल्य के दो प्रतिशत तक शुल्क मुक्त खरीददार द्वारा खारिज और वापस किये गये आभुषण का पुन: निर्यात अनुमत था। शुल्क मुक्त खारिज आभुषण के पुन: आयातके मामले में निर्यात के एफओबी मूल्य की विनिर्दिष्ट समय सीमा के बाद में किया गया है तो निर्यातकसीमाशुल्क नियमावली और विनियमों के अनुसार किये गये निवेश पर प्राप्त किये गये किसी शुल्क छूट/प्रतिदाय/भ्राई लाभ के प्रतिदाय के लिए देनदार होगा।

तीन निर्यातकों[12] के रिकॉर्डों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान पूर्वलाइसेंस वर्ष के दौरान 2.96 से 22.10 प्रतिशत के बीच किये गये निर्यात के एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत से अधिक ₹ 77.83 करोड़ की शुल्क मुक्त खारिज, आभुषण निर्यातक ने पुन: आयात किये। विनिर्दिष्ट अवधि के बाद किया गया शुल्क मुक्त खारिज किये गये आभुषणो के किये गये पुन: आयात के लिए ₹ 3.27

[12] कमिश्नर सीमाशुल्क जेजीएसई जयपुर के अंतर्गत मै. गोसिल एक्सपोर्ट प्रा. लिमि., जयिपुर, मै. सोनी इंटरनेशनल मैन्यूफ. कं., एफ-22, सेज-2, सीतापुर, जयपुर और मै. जीआईई ज्वैलसएफ-33, सेज-II सीतापुर, जयपुर

करोड़ की राशि के आभुषण को तैयार करने में किये गये निवेश पर प्राप्त किये गये किसी शुल्क छूट/प्रतिदाय/भराई लाभ के प्रतिदाय के लिए देनदार होगा। इन सभी मामलों की समीक्षा की जा सकती है और प्राप्त किये गये शुल्क लाभ लेखापरीक्षा की सूचना के अंतर्गत वसूले जा सकते हैं।

विभाग ने उत्तर दिया कि खेप आधारपर निर्यातित माल यदि मेले/प्रदर्शनी में नहीं बिकता या खरीददार द्वारा नहीं खरीदा जाता तो पुन: अयात किया गया। प्रत्यक्ष बिक्रीआधार पर माल रद्द किये जाने या मरम्मत उद्देश्यों के लिए भी पुन: आयात किया गया। निर्यातक ने एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत की सीमा के अंदर पुन: आयात के उद्देश्य हेतु पूर्व वर्ष के निर्यात के सीए प्रमाणित आंकडें प्रस्तुत किये थे।

विभाग के उत्तर में केवल नियम स्थिति को दर्शाया गया है और यह तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपरोक्त निर्यातक ने मरम्मत के लिए पुन: आयातित और फिर पुन: निर्यातित सामान जिसके लिए विभाग का सत्यापन आवश्यक है। के समर्थन में दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये।

(ग) एफटीपी की शर्तों को पूरा न करना

(i) एफटीपी के अनुसार, जैम्स और ज्वैलरी के निर्यातक निर्माण के लिए आयात/खरीद शुल्क मुक्त निवेश के लिए अनुमत हैं, यदि भार से 50 प्रतिशत चांदी से अधिक वाले आंशिक रूप से प्रसंस्कृत आभुषण, चांदी के बर्तन, चांदी की पट्टियां और सामान सहित गोल पदक और सिक्कों (वैध निविदा सिक्के और कोई इंजिनियरिंग सामान को छोड़कर सहित चांदी आभुषणों के तैयार किये गये हैं, मदों को निर्यात किया गया था।

जयपुर में सात मामलों में निर्यातकों[13] के उत्पादन रिकॉर्डों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि निर्यातकों ने शुल्क मुक्त चांदी (शुद्धता 0.999 फाईन) खरीदी और 688.89 कि.ग्रा. (1 से 49 प्रतिशत भार

[13] मै. धीरेवाला ज्वैलरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ई-73, ईपीआईपी, सीतापुरा, मै. वैभव ग्लोबल लिमिटेड, ईपीआईपी, जयपुर, मै. धीरेवाला ज्वैलरी मैन्यूफ. कंपनी लिमिटेड, एसईजैड-1, जयपुर, मै. जयपुर सिल्वर ज्वैलस प्रा. रजत लिमिटेड, एफ-21, एसईजैड-1, जयपुर, मै. मिलेनियम ज्वैलस, (100% ईओयू), ईपीआईपी, जयपुर, मै. मेगा ज्वैलस (प्रा.) लिमिटेड, एफ-57-58, ईपीआईपी, जयपुर और मै. सगुण रत्न प्रा. एसईजेड लिमिटेड मैं, जयपुर

तक) चांदी वाले 2570.3 कि.ग्रा. चांदी आभुषण निर्यात किये। निर्यातित चांदी आभुषण में चांदी भाग का अनुपात शुल्क मुक्त चांदी के आयात/खरीद के लाभ को प्राप्त करने के लिए निविर्दिष्ट अनुपात से कम था। इस प्रकार, ₹ 2.78 करोड़ के मूल्य वाले ₹ 688.89 कि.ग्रा. की मात्रापर ₹ 24.70 लाख की शुल्क राशि ब्याज सहित वसूली योग्य है।

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि आरएलए, जयपुर ने 35 एसबी के प्रति तीन निर्यातकों[14] से ₹ 3.87 करोड़ राशि के जैम आरईपी की अनियमित/अधिक मंजूरी दी। इन एसबीज द्वारा निर्यात किये गये आभुषणों में चांदी का भाग कुल निर्यातित मात्रा के भार के 50 प्रतिशत के निर्धारित नियम से कम था।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ii) डीओसी ने 25 अप्रैल 2013 से लागू सेज द्वारा सोने, चांदी, प्लेटिनम अन्य महंगी धातु, हीरा और अन्य महंगे और कम महंगे स्टोन में व्यापार गतिविधियों को अनुमत नहीं किया।

एसईईपीजैड, मुंबई में स्थित इकाई मै. निओजैम (I) लिमि. को तराशे और पॉलिश किये गये हीरे, सोने और रफ हीरे की ट्रेडिंग हेतु 5 अक्तूबर 2001 को एलओए जारी किया और एलओए का पांच वर्षों की आगामी अवधि हेतु 2008 और 2013 में विस्तार किया गया। लेखापरीक्षा ने इकाई के एपीआर से अवलोकन किया कि एमओसी द्वारा सेज में ट्रेडिंग गतिविधियां की अनुमति न देने के बाद इकाई ट्रेडिंग गतिविधियां नहीं चला रही थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(iii) मै. इलीगैंट क्लैक्शन इकाई को सामान्य और जड़ित सोने, प्लेटिनम और चांदी के आभूषणों को तैयार करने के लिए एलओए जारी किया। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फार्म-3 सीडी) अवलोकन किया कि इकाई ने कच्चा माल जैसे 96 कि.ग्रा. चांदी और 446.71 कैरट महंगे स्टोन

[14] एग्जोटिक इंडिया, जयपुर, गोसिल इक्सपोर्टस (प्रा.) लिमि., जयपुर और सिल्वैक्स इमेजिज़ इंडिया (प्रा.) लिमि. जयपुर।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बेचे थे जबकि एलओए ने उसे उत्पादन इकाई के रूप में प्रदान किया गया था न कि ट्रेडिंग इकाई के रूप में।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(iv) 48000 सेट की वार्षिक क्षमता के साथ सामान्य और जड़ित सोने, प्लेटिनम और चांदी आभुषणों के तैयार करने और निर्यात करने के लिए एसईईपीजैड, मुंबई में स्थित मै. सिडस ज्वैलस प्रा. लिमि. इकाई को 2008 में एलओए जारी किया गया था। अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए 2013 में एलओए का दोबारा बढ़ाया गया। वार्षिक लेखे और कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इकाई ₹ 1,350.36 करोड़ के अधिकतम मूल्य सहित वि.व. 2009-10 से 2013-14 के दौरान प्राधिकृत वार्षिक क्षमता से आगे बढ़ गई थी। अनुमोदित क्षमता से लगातार उच्च उत्पादन इकाई द्वारा की जा रही अप्राधिकृत गतिविधि के जोखिम से भरा हुआ था। एफटी (डीआर) अधिनियम 1992 के अंतर्गत एलओए की शर्त का उल्लंघन के लिए जुर्माना देय है।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(v) सामान्य सोने/जड़ित सोने के आभूषण, गोल पदक और सिक्कों के तैयार करने और निर्यात हेतु 09 मार्च 2000 को मै. राजेश एक्सपोर्ट, बैंगलोर को एलओपी जारी किया गया था। आगे के 5 वर्षों की अवधि हेतु 09 सितम्बर 2005 को एलओपी का बढ़ाया गया था।

ईओयू योजना से सैद्धांतिक एग्जिट हेतु 17 जुलाई 2012 को आवेदन किया गया और उत्पाद शुल्क विभाग से एओसी के लिए आवेदन किया गया। उत्पाद शुल्क विभाग ने इकाई को एनओसी के लिए इंकार कर दिया क्योंकि एलओपी 2010 में समाप्त हो चुका था और इकाई ने एलओपी के नवीकरण हेतु आवेदन नहीं किया था। उत्पाद शुल्क विभाग के इन्कार के बाद, इकाई ने इओयू योजना से डि-बोडिंग और इग्जिट की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए इकाई को समर्थ बनाने के लिए 23 अगस्त 2012 को एलओपी नवीकरण हेतु आवेदन किया। इकाई अभी भी किसी वैध को एलओपी के बिना इओयू की स्थिति में बनी हुई है।

इसी प्रकार, जड़ित और सामान्य ज्वैलरी तैयार करने निर्यात हेतु 12 सितम्बर 2005 को ईओयू इकाई के रूप में मुंबई में स्थित मै. टिलाईट ज्वैलरी प्रा. लिमि. इकाई को एलओपी प्रदान किया गया था। इकाई ने 27 जनवरी 2006 को उत्पादन आरंभ कर दिया था। इकाई ने 17 फरवरी 2011 को पांच वर्षों की अवधि हेतु विस्तार का अनुरोध किया। डीसी (एसईईपीजैड-सेज) ने 1 अप्रैल 2011 से लागू आगे के पांच वर्षों अर्थात् 2011-12 से 2015-16 के लिए एलओपी को आगे बढ़ाया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 27 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2011 की अवधि के दौरान, एलओपी के समाप्त होने के बावजूद भी इकाई ने किसी एलओपी के बिना ही ईओयू के रूप में कार्य चालू रखा और एक ईओयू इकाई के लिए प्रदत्त सभी लाभ प्राप्त किये। उक्त अवधि के दौरान आयातित शुल्क मुक्त कच्चा माल और उपभोग्य सामान को वापस लिया जा सकता है।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(vi) एचबीपी के अनुसार, एलओपी उत्पादन/सेवा गतिविधि, उत्पादन क्षमता, के रूप में पहले पांच वर्षों के लिए निर्यात अनुमान विदेशी विनिमय प्रवाह, परिसीमन यदि कोई हैं तो डीटीए में तैयार माल की बिक्री उप-उत्पाद और रद्द करने के संबंध में और आवश्यक अन्य मामले तथा आवश्यक ऐसी ही शर्तों को भी लागू करने के लिए मद (मदों) को विनिर्दिष्ट करता था। एफटीपी के अनुसार, एलओपी को सभी उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण के रूप में लिया जाना था।

रंगीन जैम स्टोन, जड़ित सोने के आभूषण चांदी के आभूषण, प्लेटिनम आभूषण आदि तैयार करने के लिए डीसी, नोयडा सेज द्वारा 100 प्रतिशत इओयू का एलओपी मै. वैभव जैनस लिमि. जयपुर (अब मै. वैभव ग्लोबल लिमि.) को जारी किया गया था। संयंत्र और मशीनरी की अधिकतम उपयोगिता के आधार पर वार्षिक उत्पादन क्षमता 2010-11 से 2014-15 के दौरान रंगीन जैम स्टोन की 60,000 कैरट और आभूषणों (सभी प्रकार के) के 54000 सेट थी।

इकाई के उत्पादन रिकॉर्ड और एपीआर की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इकाई ने डीसी क्षेत्राधिकार से वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की अनुमति लिये बिना संस्थापन क्षमता से अधिक के 2,25,08,574 कैरट रंगीन स्टोन और 1,18,10,592 आभूषण सेट निर्यात किये। इसलिए, वार्षिक संस्थापन क्षमता से अधिक सामान तैयार करने में कच्चे माल की खरीद और उपयोगिता के संबंध में आनुपातिक पूर्व निश्चित शुल्क राशि आयातक से वसूली योग्य थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(vii) एचबीपी के अनुसार, ईपीसीजी के तहत ईओ छः वर्षों के भीतर पूरा किए जाने वाले लाइसेंसी द्वारा बचाए गए शुल्क से छः गुना निर्धारित किया जाना था। ईपीसीजी के तहत ईओ को विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, सहित सम्पूर्ण निर्यात देयता अवधि के भीतर उन्हीं और समान उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में लाइसेंसी द्वारा प्राप्त निर्यात स्तर के ऊपर और अधिक होना था अथवा प्राधिकार की किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफलता के मामले में प्राधिकार धारक पर एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम एवं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कार्रवाई की जानी थी।

इसके अतिरिक्त, एसएसआई इकाईयों के लिए पूँजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जा सकती थी बशर्ते कि 8 वर्षों में बचाए गए शुल्क के छः गुने के बराबर ईओ पूरा हो, इस योजना के तहत आयातित ऐसी पूँजीगत वस्तुओं का लैंडेड सीआईएफ मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक न हो एवं ऐसे आयात के बाद संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश एसएसआई सीमा से अधिक न हो।

मै. हरी मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, आरएलए सूरत ने ₹ 18.91 लाख की शुल्क बचत राशि सहित ईपीसीजी लाइसेंस की मंजूरी दी। लाइसेंस के लिए ईओ ₹ 1.13 करोड़ (बचत शुल्क का छः गुना) की बजाए ₹ 28.36 लाख निर्धारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ईओ का ₹ 85.07 लाख तक कम निर्धारण हुआ।

विभाग ने बताया (जून 2015) कि सुधारात्मक कदम उठाये जाएंगे।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

(viii) इसी प्रकार मै. ओरोबेला ज्वैलरी प्रा. लि. के मामले में आरएलए जयपुर ने एएम-10 के दौरान दो ईपीसीजी लाइसेंस प्राधिकृत किए गए थे और निर्यात देयता शुल्क बचत की राशि से छः गुना निर्धारित की गई थी जिसे केवल एसएसआई इकाईयों के लिए अनुमत किया गया था, हालांकि लाइसेंसी की एसएसआई स्थिति को सिद्ध करने के लिए आरएलए कोई अभिलख नहीं प्रस्तुत कर सका। इसके अतिरिक्त, लाईसेंसी ने ₹ 51.51 लाख मूल्य के सीजी का आयात किया जो एसएसआई इकाईयों के लिए अनुमत नहीं था। इस प्रकार, इकाई, एसएसआई स्थिति हेतु अर्हक नहीं थी और शुल्क बचत के छः गुने की बजाए आठ गुने पर ईओ अवमुक्त किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.97 लाख तक ईओ का कम निर्धारण हुआ।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी2016)।

(ix) लेखापरीक्षा ने देखा कि आरएलए सूरत ने चार लाइसेंसियों[15] को ईपीसीजी लाईसेंस जारी करते समय औसत निर्यात देयता ₹ 127.21 करोड़ की बजाए ₹ 71.74 करोड़ निर्धारित की गई, जिसके परिणामस्वरूप औसत निर्यात देयता ₹ 55.73 करोड़ तक कम निर्धारित की गई।

विभाग ने बताया (जून 2015) कि सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

(x) आरएलए जयपुर के मार्च 2015 के एमआईएस रिपोर्ट की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2004 और 2005 के दौरान जारी ₹ 38.71 लाख के छोड़े गए शुल्क की रशि सहित ₹ 3.10 करोड़ के कुल ईओ वाले पांच ईपीसीजी लाइसेंस[16] ईओ विवरण पूरा करने के अभाव में ऋमुक्ति हेतु लंबित थे। इन लाइसेंसों की ईओ अवधि जुलाई 2013 में समाप्त हो गई। विभाग ने इन लाइसेंसों के प्रति न तो ईओ विवरण प्राप्त करने हेतु कोई कार्रवाई की, न ही एफटीडीआर अधिनियम की शर्तों के अनुसार इन लाइसेंस धारकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई थी।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

---

[15] मै. एन.जे. जेम्स, मै. श्री हरि जेम्स, मै. भादियद्र इंप्लेक्स और मै. ओम आनंद एक्सपोर्ट

[16] सं. 1330000678, 1330000533, 1330000652, 1330000660 और 1330001001

3.4 प्रचालनात्मक विनिर्माण के मामले

(क) केपीसी के संग्रहण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का गैर अनुपालन

किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) देश के अंदर आने एवं देश के बाहर जाने वाले सभी कच्चे हीरे को ''विवाद-मुक्त'' के रूप में प्रमाणित करने के प्रवाह के डाटा एवं दस्तावेज के रख-रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

डीओसी ने अपने पत्र दिनांक 13 नवम्बर 2002 द्वारा केपीसीएस की धारा IV (बी) के भीतर ''आयात एवं निर्यात प्राधिकारी'' के रूप में जीजेईपीसी को नामित किया था।

इसके अतिरिक्त, सीबीईसी के दिनांक 23 जून 2003 के परिपत्र के अनुसार कच्चे हीरे की आयातित खेप किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणपत्र (केपी प्रमाणपत्र) के साथ होनी चाहिए थी। खेप/पार्सल के पहुँचने के पूर्व या पहुँचने पर आयातक अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा केपी प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे कि एयरवे बिल, बीजक, पैकिंग सूची आदि सत्यापन एवं प्रमाणन हेतु जीजेईपीसी को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। जीजेईपीसी को दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् इसे केपी प्रमाणपत्र की प्रति पर पृष्ठांकित करना था। आयातक/सीएचए को कच्चे हीरे के निर्धारण एवं निकासी हेतु बीई भरते समय अपेक्षित आयात दस्तावेजों के साथ जीजेईपीसी द्वारा पृष्ठांकित केपी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना था। सीमाशुल्क को जीजेईपीसी द्वारा सत्यापित केपी प्रमाणपत्र की प्रति पर खेप की मंजूरी पृष्ठांकित की जानी थी तथा मूल प्रति रोक लेना था। जीजेईपीसी का प्राधिकृत प्रतिनिधि सीमाशुल्क द्वारा रोके गए सभी मूल केपी प्रमाण पत्रों का संग्रहण करता।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीमाशुल्क उपायुक्त कार्यालय, सूरत हीरा बोर्स और सूरत के कार्यालय से जीजेईपीसी के किसी भी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मूल प्रमाणपत्र नहीं लिए जा रहे थे। इसके बजाए वे सीमाशुल्क भवन एजेंट (सीएचए) के कार्मिकों द्वारा जीजेईपीसी को प्रस्तुत किए जा रहे थे। निर्धारित प्रक्रियाओं का गैर-अनुपालन धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

डीओसी से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ख) पेशेवर सक्षमता के अनुसार चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया

एचबीपी के अनुसार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर (सीईसी) से गठजोड़ प्रमाणपत्र के आधार पर आरएलए ईपीसीजी प्राधिकार जारी करता है। व्यापार सूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 में यह स्पष्ट किया गया था कि एक विशेष क्षेत्र/शाखा का चार्टर्ड इंजीनियर केवल उसी इंजीनियरिंग क्षेत्र की तकनीकी आवश्यकताओं को प्रमाणित करेगा। इंजीनियर्स संस्थान की आचार संहिता के अनुसार, जिसमें प्रावधान है कि ''पेशेवर इंजीनियर ऐसे कार्य करेंगे जहां पेशे से सक्षम इंजीनियर केवल अपने तकनीकी सक्षमता क्षेत्र में ही सेवायें देंगे।

लेखापरीक्षा ने आरएलए मुंबई में देखा कि सूरत में हीरे को तरासने एवं उसके उत्पादन से जुड़े इस ईपीसीजी लाइसेंसी ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान मशीनरी के आयात के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर से गठजोड़ प्रमाणपत्र एवं स्थापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। चूँकि मशीनरी की आवश्यकता हीरे तरासने और उसके निर्माण के लिए थी, इसे केवल मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों द्वारा ही प्रमाणित किया जाना था। इस प्रकार सीई ने व्यापार सूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 के साथ-साथ इंजीनियर्स संस्थान (भारत) के आचार संहिता का पालन नहीं किया था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि एफटीपी और/या एचबीपी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गठजोड़ या स्थापन का प्रमाणन केवल संबंधित स्ट्रीम से ही किया जाएगा। लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित मामलों में यह देखा गया कि आयातित उपकरण कच्चे हीरे की स्कैनिंग, मार्किंग और कटिंग के लिए प्रयुक्त मशीनें है। ये पूँजीगत वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतीत होती हैं और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर द्वारा प्रमाण सही प्रतीत होता है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आयातित उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं बल्कि मशीनरी थीं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह देखा कि सूरत में स्थित सभी दस इकाईयों में गठजोड़ एवं स्थापन प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर द्वारा दिए गए थे जबकि मुंबई में स्थित तीन इकाईयों

में आयातित समान उपकरण मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किए गए थे।

इस प्रकार, चार्टर्ड इंजीनियर्स के आचार संहिता के अनुरूप नीति में प्रमाणन प्राधिकार विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।

(ग) गैर वसूली और समाप्त निर्यात लाभ पर निर्यात प्रोत्साहन की गैर वसूली/परित्याग

एचबीपी की शर्तों के अनुसार, निर्यात लाभ को एफटीपी के तहत किसी भी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाना था यदि आरबीआई मेरिट के आधार पर निर्यात लाभ की वसूली आवश्यकता समाप्त करता है तथा निर्यातक क्रेता द्वारा निर्यात लाभ की गैर वसूली के तथ्य के बारे मे संबंधित भारतीय विदेश मिशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया हो। हालांकि यह ''स्व समाप्त मामलों'' में लागू नहीं था। आरबीआई ने दिनांक 22 जुलाई 2010 के अपने परिपत्र में स्पष्ट किया कि जहां एडी वर्ग-। बैंक को निर्यातक द्वारा समाप्त किए गए अनुरोध मानने की अनुमति थी बशर्ते कि अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातक को तत्संबंधी लदानों के संबंध में लिए गए समानुपातिक निर्यात प्रोत्साहन वापस लौटा दे। यह भी स्पष्ट किया गया कि छूट वहां लागू नहीं होगा जहां निर्यात 27 अगस्त 2009 से पहले किया गया हो।

डीसी, सेज, सीतापुर, जयपुर के अंतर्गत चार निर्यातकों[17] के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि ₹ 1.84 करोड़ की गैर वसूली किए गए निर्यात लाभ को निर्यातकों द्वारा स्वयं ही अपने लेखा बहियों से समाप्त कर दिया गया था। चूँकि निर्यातकों ने स्वयं ही विदेशी आय की गैर वसूली वाली राशि को समाप्त कर दिया गया था। इसलिए लिया गया समानुपातिक निर्यात प्रोत्साहन निर्यातकों से वसूल किया जाना था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

[17] मै. डेरेवाला ज्वैलरी इंडस्ट्रीज, निर्यात भवन, मै. शाह जेम्स एंड ज्वैलरी मै. कं, सेज-I, मै. लूनावाट जेम्स, जेस-II, जयपुर एवं एवं मै. जीआईई ज्वैल्स, सेज-II

(घ) गोल्ड डोर बार्स में सोने की मात्रा का स्व-निर्धारण

सीमाशुल्क विंग को गोल्ड डोर बार्स में सोने की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए गोल्ड डोर बार्स के प्रत्येक खेप से नमूना संग्रहण करना था।

मै. कुंदन केयर प्रोडक्ट्स लिमि. हरिद्वार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इकाई ने जून 2013 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान 21,503 किग्रा गोल्ड डोर बार्स का आयात किया जिसमें इसकी अपनी प्रयोगशाला में विश्लेषण के पश्चात इकाई द्वारा 71 प्रतिशत सोने की मात्रा (15,276 किग्रा) घोषित की गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 766.72 किग्रा गोल्ड डोर बार्स की एक खेप में दिनांक 23 जून 2013 की स्व-निर्धारण रिपोर्ट में केवल 16 प्रतिशत सोना दर्शाया और बाकी खेप में चांदी और अन्य मिलावट प्रकट की, जिसे विभाग द्वारा मान लिया गया। विभाग ने इकाई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर भरोसा कर लिया और गोल्ड डोर बार्स में सोने की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए अलग से नमूना नहीं लिया।

इकाई की स्व-निर्धारण रिपोर्ट के अलावा सीमाशुल्क विंग द्वारा लिए गए नमूनों के निर्धारण पर रिपोर्टों के अभाव में गोल्ड डोर बार्स के सोने की मात्रा पर विश्वास नहीं किया जा सकता था।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि सोने की छड़ों के आयात पर सममूल्य शुल्क और लागू सीवीडी है। इकाई ने बताया कि सभी आयातों का अस्थायी निर्धारण किया गया था और जांच के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा लिए गए नमूने को लैब जांच के लिए सरकारी लैब में भेजा गया था। लैब से परिणाम आने के बाद बीईज़ का अंतिम रूप से निर्धारण किया गया था। मै. कुंदन केयर प्रोडक्ट्स लि. ने 10 दिसम्बर 2014 को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एवं कैलिबरेशन लेबोरेटरीज़ से आधिकारिक मान्यता प्रमाणपत्र लिया है।

उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर तर्कसंगत नहीं है कि 766.72 किग्रागोल्ड डोर बार्स की खेप 23 जून 2013 को स्व-निर्धारण थी जिसके लिए सीमाशुल्क प्राधिकरण की जांच लैब रिपोर्ट अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त, नेशनल

एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एवं कैलिबरेशन लेबोरेटरीज़ से प्रमाणपत्र दिसम्बर 2014 में ही इकाई को जारी किए गए थे।

(ड) जीजेईपीसी की अनुमति के बिना विदेशी प्रदर्शनी में भागीदारी

एचबीपी में प्रावधान है कि नामित एजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति प्रदर्शनी लगाने/निर्यात प्रोत्साहन यात्रा/ब्रांडेड आभूषण के निर्यात के लिए जेम्स एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) की मंजूरी सहित इसकी मूल या सत्यापित प्रति में सहायक आयुक्त (सीमाशुल्क) को पत्र भेजेगा।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि चार मामलों में उपायुक्त (सीमाशुल्क), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जयपुर के अंतर्गत निर्यातकों ने जीजेईपीसी की अनुमति के बिना विदेशी प्रदर्शनी में भाग लिया। चूँकि इन निर्यातकों ने वैध अनुमति के बिना विदेश में आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया, ये ₹ 94.92 लाख को शुल्क भुगतान हेतु दायी थे।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि निर्यातकों ने प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया बल्कि वस्तुएं अन्य पक्षों को खेप के आधार पर निर्यात की गई थी और प्रदर्शनी स्थल पर प्राप्त हुई थी। अत: इन निर्यातकों को जीजेईपीसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्यातक अर्थात् मै. ब्लू स्टार, जयपुर ने हांगकांग में आयोजित प्रदर्शनी/मेले-2014 में भाग लेने हेतु खेप भेजी थी (एसबी सं. 2741 दिनांक 13.03.2014) जिसमें निर्यातक स्वयं ही वस्तुओं का प्राप्तकर्त्ता था। हांगकांग में आयोजित मेले में भाग लेने हेतु उक्त निर्यातक द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके अलावा, एक्जिम नीति विदेशों में प्रदर्शनी केंद्र में भाग लेने हेतु वस्तुओं को अन्य व्यक्ति को सौंपने के मामले में जीजेईपीसी से अनुमति लेने से निर्यातक को छूट नहीं देती थी।

(च) आपराधिक मामलों के अधिनिर्णयन में देरी

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की शर्तों के अनुसार, अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्यवाही से पूर्व एक सुनवाई में पार्टी को सुनने का अवसर दिया जाना था, यदि पार्टी इसके लिए इच्छुक हो। अधिनिर्णयन प्राधिकारी पार्टियों को समय देने तथा लिखित में दर्ज करने के कारणों की सुनवाई को

स्थगित कर देना था यदि सुनाई के किसी भी स्तर पर पर्याप्त कारण दर्शाये गए थे, बशर्ते कि सुनवाई के दौरान पार्टी को तीन बार से अधिक ऐसे स्थगन की मंजूरी न दी गई हो।

चेन्नई एयर कस्टम में ₹ 6.71 करोड़ मूल्य के 21.533 किग्रा सोने की छड़ों को जब्त करने पर 2013-14 के दौरान 23 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे और अगस्त 2015 तक 18 महीने से अधिक समय से लंबित थे। इसी प्रकार, एयर कस्टम, नेडुम्बसेरी, कोचीन के मामले में केवल एक मामला एक वर्ष से अधिक समय से लंबित था जिसका कारण प्रतीक्षित है।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि एयर कस्टम, नेडुम्बसेरी, कोचीन के मामले में 26 अगस्त 2015 को मामले का निर्णय कर दिया गया है।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(छ) विदेश में प्रदर्शन हेतु जड़ित आभूषण के निर्यात में अनियमिततायें

एचबीपी में प्रावधान है कि इकाई को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्रदर्शनी की समाप्ति की तिथि से पैंतालिस दिनों के भीतर वस्तुओं को वापस लाना था या बेचना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीसी ने मै. डायलमा एक्सपोर्ट्स को अक्टूबर 2012 से मई 2013 के दौरान आयोजित तीन विदेशी प्रदर्शनियों के माध्यम से आभूषण के निर्यात तथा दुबारा अक्टूबर 2013 से जून 2014 के दौरान आयोजित तीन विदेशी प्रदर्शनियों के लिए निर्यात की अनुमति दी (सितम्बर 2012)।

इस प्रकार, ऐसी दीर्घावधि (लगभग छः महीने) के लिए प्रदर्शनियों के माध्यम से निर्यात की अनुमति देने के कारण प्रदर्शनी समाप्ति से 45 दिनों के पश्चात् गैर बिकी वस्तुओं का पुनर्आयात सुनिश्चित नहीं किया जा सका। वस्तुएं पांच से छः महीनों की देरी के बाद लौटाई गई थी।

इसने दर्शाया कि विभाग ने विदेशी प्रदर्शनी हेतु निर्यात के लिए अनुमत गैर बिकी वस्तुओं के पुनर्आयात की निगरानी के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई थी और साथ ही विदेश व्यापार (निर्देशक विनियामक) अधिनियम के तहत कोई भी कार्रवाई करने में विफल रहा।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ज) स्वर्ण आभूषण के संबंध में अनिश्चित आवक प्रेषण

सेज नियमावली, 2006 में प्रावधान था कि विदेशी प्रदर्शनी लगाने या भाग लेने हेतु व्यक्तिगत रूप से दो मिलियन डॉलर मूल्य तक के रत्नों और आभूषणों की विकास आयुक्त की मंजूरी से अनुमति थी बशर्ते कि इकाई को प्रदर्शनी में बेची गई वस्तुओं के संबंध में आवक प्रेषण का साक्ष्य प्रस्तुत करना था।

डीसी, नोएडा सेज ने 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान विदेशी प्रदर्शनियों के माध्यम से आभूषण के निर्यात हेतु मै. बीई ज्वैल्ड इंडिया प्रा. लि. को 15 अनुमतियां दी। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि पांच अनुमतियों के संबंध में ₹ 27.12 करोड़ के विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्रों (एफआईआरसी) की तिथियां, विदेशी प्रदर्शनियों की तिथियों से पूर्व की थी। इसने स्वर्ण आभूषण के संबंध में संदिग्ध आवक प्रेषण दर्शाया।

इसके अतिरिक्त, एक मामले (अवधि 20.09.2013 से 20.12.2013 के लिए अनुमति सं.9537) में ₹ 84.36 लाख के एफई वसूली का विवरण इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(झ) इकाई के अलग वार्षिक लेखे का गैर अनुरक्षण

सेज नियमावली, 2006 के अनुसार यदि एक इंटरप्राइजेज़ एक घरेलू टैरिफ क्षेत्र के साथ-साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई दोनों के रूप में कार्य करती है तो इनके दो अलग-अलग बहीखाते वाली पहचान होनी चाहिए थी। इसके अलावा, सेज नियमावली के अनुसार, व्यापार और विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न प्रत्येक इकाई द्वारा व्यापार एवं विनिर्माण गतिविधियों के लिए अलग-अलग अभिलेख बनाए जाने थे।

एसईईपीजेड, मुंबई में स्थित इकाई मै. नियोजेम (इं.) लि. को 11 फरवरी 1991 को जड़ित एवं सादे स्वर्ण आभूषण के विनिर्माण एवं निर्यात हेतु एलओए जारी किया गया था और फिर से पांच वर्ष अर्थात् 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए 2010 में एलओए में विस्तार किया गया था।

उपरोक्त कम्पनी एक सूचीबद्ध कम्पनी थी और इसके पास तीन इकाईयां, एक डीटीए में, व्यापार इकाई के रूप में एसईईपीजेड में एक तथा विनिर्माण इकाई के रूप में एसईईपीजेड में एक इकाई थी। उपरोक्त सभी इकाईयां एक दूसरे से अलग थी। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि इकाई डीटीए, व्यापार एवं विनिर्माण इकाईयों के लिए सेज नियमावली, 2006 के नियम 19(7) को प्रावधानों के अनुसार अलग-अलग बहीखाते नहीं बना रही थी।

दो मामले में यही आपत्ति देखी गई थी जहां डीसी ने जुलाई 2014 में मै. कनक एक्सपोर्ट्स और जनवरी 2004 में मै. एमडी ओवरसीज़ के पक्ष में एलओए जारी किया और ये इकाईयां 2010-11 और 2011-12 के दौरान स्वर्ण पदक और सोने की छड़ें बनाने की गतिविधि के साथ-साथ व्यापार में संलग्न थी। हालांकि उपरोक्त नियम के उल्लंघन में इकाईयों द्वारा कोई अलग लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ञ) डीटीए क्रय एवं सीपीडीज़ की खपत

डीसी, एनसेज ने जुलाई 2007 में हाथ से बने/मशीन से बने स्वर्णाभूषण/ सादे/जड़ित लूज कट और पॉलिश किए गए आभूषण के लिए मै. डायलमा एक्सपोर्ट्स के पक्ष में एलओए जारी किया।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इकाई ने 46 एसबीज़ के माध्यम से 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 71.04 करोड़ मूल्य की कटे एवं पालिश किए गए हीरे वाले स्वर्णाभूषणों का निर्यात किया। इन एसबीज़ के अनुसार निर्यात किए गए कटे एवं पालिश किए गए हीरे का मूल्य ₹ 52.93 करोड़ था, लेकिन सीपीडी (डीटीए से क्रय) का विवरण न तो सीमाशुल्क विंग और न ही विकास आयुक्त के पास उपलब्ध था। इसके बावजूद विभाग ने डीटीए से खरीदे गए कटे एवं पालिश किए गए हीरे की खपत की जांच के लिए कोई तंत्र नहीं बनाया गया था, जबकि इकाई ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 30.74 करोड़ राशि के कटे एवं पालिश किए गए हीरे का क्रय किया था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ट) शास्ति की गैर वसूली

डीसी, कोचीन (सीसेज) ने 14 फरवरी 2000 को मै. डी.टी.एस डायमंड टूल्स सी प्रा. लि. को पांच वर्षों के लिए सर्कुलर आरी के ब्लेड, हीरे के भाग वाले ब्लेड के निर्माण एवं निर्यात के लिए एलओपी जारी किया। एलओपी को फिर से 28 मार्च 2010 तक विस्तारित कर दिया गया था। इकाई ने शुरूआती पांच वर्षों में सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया लेकिन प्रचालन के दूसरे ब्लॉक में इकाई प्राप्त नहीं कर पाई। वास्तविक आधार पर ₹ 1.75 करोड़ की गिरावट हुई थी।

डीसी, सीसेज़ ने 25 अप्रैल 2012 को एलओपी रद्द कर दिया और सकारात्मक एनएफई प्राप्त न करने के कारण ₹ 2 करोड़ की शास्ति लगाई। इसके अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बैंग्लुरू-I, कमिश्नर, बैंग्लुरू ने माल जब्त कर लिया और 8 जून 2012 को शुल्क की मांग की तथा शास्ति लगाई जो इस प्रकार है:

I. इकाई द्वारा आयातित कच्चे माल और जब्त पूँजीगत वस्तुओं का मूल्य ₹ 6.79 करोड़ था और ₹ 60 लाख के विमोचन जुर्माने के भुगतान पर जब्त वस्तुओं को छोड़ने का प्रस्ताव दिया गया;
II. ₹ 2.07 करोड़ सीमाशुल्क और उस पर ब्याज वाली राशि की वसूली की पुष्टि की गई और आदेश दिया गया;
III. ₹ 25 लाख की शास्ति लगाई।

डीसी, सीसेज ने ''जमीन पर सार्वजनिक राजस्व के अलावा राशि की वसूली जो राजस्व वसूली अधिनियम के तहत वसूली योग्य है'' के रूप में ₹ 2 करोड़ की वसूली के लिए 24 अगस्त 2012 को उप जिलाधिकारी, बैंग्लुरू को भी लिखा था।

इसके अलावा, सीसेज ने ₹ 2 करोड़ की वसूली के लिए प्रथम सचिव (वाणिज्यक), भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय को भी पत्र लिखा (24-8-2012) चूँकि इकाई एक इटालियन कंपनी (मै. सी यूटेन्सिली डायामंटिटी एस.पी.ए वाया ऑगेरे) की 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी है।

विभाग के पत्राचार के बावजूद लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ठ) केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) का गलत प्रतिदाय

एफटीपी के अनुसार, ईओयू भारत में बनी वस्तुओं पर सीएसटी की क्षतिपूर्ति की हकदार होंगी।

रेंज-I, सिटी डिवीज़न, भावनगर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली एक 100 प्रतिशत ईओयू, मै. रिनाईनसैंस लि. ने डीसी (केएएसईजेड), गांधीधाम से 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए इनपुट खरीद पर अपने सीएसटी क्षतिपूर्ति के प्रति ₹ 1.47 करोड़ प्राप्त किया जिसमें से ₹ 1.13 करोड़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से सोने की खरीद के लिए अदा किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एफटीपी के तहत सोने के आयात एवं विभिन्न उद्योग/विनिर्माताओं को आपूर्ति के लिए प्राधिकृत नामित एजेंसियों की सूची में शामिल किया गया था। चूँकि आयातित सोना भारत में नहीं बना था इसलिए ₹ 1.02 करोड़ के सीएसटी की क्षतिपूर्ति गलत थी और इकाई से वसूलीयोग्य थी।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ड) पीटीएच के निर्यातक को अनुचित स्थिति प्रमाणपत्र जारी करना

मै. लक्ष्मी डायमण्ड प्रा. लि. जिसे पहले निर्यात भवन प्रमाणपत्र धारक के रूप में मान्यता दी गई थी, ने अवधि (4 सितम्बर 2009 से 31 जुलाई 2009) सहित पिछले तीन वर्षों के निर्यात निष्पादन के आधार पर ₹ 2,691 करोड़ के एसटीएच प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। निर्यात निष्पादन के एफओबी/एफओआर मूल्य के आधार पर क्षेत्रीय संयुक्त डीजीएफटी ने 31 दिसम्बर 2010 को निर्यातक को एसटीएच प्रमाणपत्र जारी किया था। हालांकि प्रमाणपत्र स्थिति जारी करते समय यह उल्लेख किया था कि प्रमाणपत्र पीटीएच था।

प्रमाणपत्र में गलत स्थिति उल्लेख से आयातकों को लाभ लेने की अनुमति मिली जो एसटीएच के कारण लाभ के बदले पीटीएच के लिए बने हैं।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में कहा कि सत्यापन करने पर यह पाया गया कि इस विशेष कम्पनी को ईपीसीजी के तहत लाभ नहीं मिला है।

विभाग यह बताए कि स्थिति प्रमाणपत्र में पुन: प्रमाणन किया गया है अथवा नहीं।

(ढ) एलयूटी बांड मूल्य के कम/गैर निष्पादन

सेज नियमावली, 2006 के अनुसार, प्राधिकृत संचालन हेतु छूट, फिरती एवं रियायत लेने के लिए इकाई को आयातित ईंधन या शुल्क मुक्त और सकारात्मक एनएफईई प्राप्त करने सहित पूंजीगत वस्तुओं, कलपुर्जों, कच्चे माल अवयवों और उपयोज्य वस्तुओं सहित वस्तुओं के समुचित उपयोग और लेखांकन से संबंधित अपने दायित्व के संबंध में बीएलयूटी निष्पादित करना था। बीएलयूटी का मूल्य डीटीए से आयात या खरीद पर आरोप्य शुल्क की राशि के बराबर होना चाहिए था। जहां निष्पादित बीएलयूटी, अतिरिक्त वस्तुओं की आवश्यकता के लिए कम हो, इकाई को अतिरिक्त बीएलयूटी प्रस्तुत करना था। रत्न एवं आभूषणों के संबंध में बीएलयूटी के मूल्य की गणना इकाई द्वारा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर पर किया जाना था।

(i) 2010-11 से 2013-14 के एपीआर और मै. नियोजेम (I) लि., एसईईपीजेड, मुंबई के मामले में बीएलटीयू की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इकाई ने एपीआर में खरीदी गई पूँजीगत वस्तुओं का मूल्य ₹ 3 करोड़ दर्शाया था जबकि इकाई ने 2008 में ₹ 1.26 करोड़ एवं 2013 में ₹ 1 करोड़ का बीएलयूटी निष्पादित किया था।

मै. श्री राज ज्वैल्स, एसईईपीजेड मुंबई के मामले में भी यही चूक देखी गई जहां 31 मार्च 2014 तक खरीदी गई पूँजीगत वस्तुओं का कुल मूल्य ₹ 2.44 करोड़ था जबकि इकाई ने केवल ₹ 1 करोड़ मूल्य की पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए बीएलयूटी निष्पादित किया था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

(ii) मै. श्री राज ज्वैल्स, एसईईपीजेड मुंबई ने 3 अक्टूबर 2011 को ₹ 2.72 करोड़ का बीएलयूटी निष्पादित किया। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए निर्यात/आयात निष्पादन से देखा कि इकाई लक्षित निर्यात/आयात को पार गई थी। हालांकि, इकाई ने 15 अप्रैल 2014 तक बीएलयूटी निष्पादित नहीं किया। 2014-15 के लिए इकाई ने आयात एवं निर्यात का संशोधित लक्ष्य भरा और लक्ष्य को स्वीकार करते हुए 2 मई 2014 को एसईईपीजेड द्वारा तदनुसार एलओए में संशोधन कर दिया गया और इकाई से संशोधित बीएलयूटी निष्पादित करने का अनुरोध किया गया। संशोधित लक्ष्य के अनुसार अगले तीन वर्षों के लिए समेकित एफओबी/सीआईएफ मूल्य क्रमश: ₹ 616.07 करोड़/₹ 432.46 करोड़ था। इकाई ने संशोधित बीएलयूटी नहीं भरा था।

सूरसेज़ (सूरत) में भी समान चूक देखी गई जहां छ: सूरसेज़ (सूरत) इकाईयों अर्थात्, मै. गोयनका डायमण्ड्स एण्ड ज्वैल्स लि., मै. वी स्ववायर इंटरनेशनल, मै. फार्च्यून जेम्स, मै. कामिनी ज्वैल्स, मै. किरन डिजाइन और मै. डायमण्ड फोरएवर इंटरनेशन द्वारा वर्ष में आयात की मात्रा में वृद्धि के बावजूद भी निष्पादित बांडों में वृद्धि नहीं की गई थी।

विभाग ने बताया (जून 2015) कि इकाईयों को नए बांड भरने का निर्देश दिया गया था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2016)।

(iii) मै. ईजी फिट ज्वैलरी प्रा. लि., (सेज इकाई), मणिकंचन के मामले में इकाई ने 11 जुलाई 2008 को 50 लाख के मूल्य का बीएलयूटी निष्पादित किया। इकाई की वार्षिक क्षमता को 03 अप्रैल 2010 को 50000 पीस से संशोधत करके 2500 किग्रा कर दिया गया था, हांलाकि तदनुसार संशोधित बीएलयूटी का निष्पादन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सोने के शुल्कमुक्त आयात के लिए ₹ 16.23 करोड़ (लगभग) के बांड-कम-एलयूटी का कम निष्पादन हुआ।

इसे बताए जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली तथा बताया कि सभी एमकेसेज़ इकाईयों से उनकी मौजूदा क्षमता के अनुरूप बीएलयूटी राशि बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

(iv) हैदराबाद कमिश्नरी के अंतर्गत निष्पादित किए गए बीएलयूटीज़ की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि चार इकाईयों[18] के संबंध में इकाईयों ने आयातित पूँजीगत वस्तुओं और अपेक्षित स्वदेशी पूँजीगत वस्तुओं का मूल्य लक्षित किया। बांड का मूल्य निकालते समय लक्षित आयातित पूँजीगत वस्तुओं के मूल्य को समेकित लक्षित मूल्य पूँजीगत वस्तुओं की लेने की बजाए आयातित एवं स्वदेशी पूँजीगत वस्तुओं के लिए दो भागों में बांट दिया गया था। तदनुसार, निकाला गया शुल्क गलत माने गए मूल्य के आधार पर था। इसके परिणामस्वरूप बीएलयूटीज़ का ₹ 3.25 करोड़ तक कम निर्धारण हुआ।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में बताया कि वे डीसी को एक प्रति संलग्न करते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों को फिर से निर्देश देंगे।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

(ण) आयात हकदारी को सहसंबंधित किए बिना खरीद प्रमाणपत्र जारी करना

एचबीपी में परिकल्पित था कि सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त भी इओयू के यूएसी के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, यूएसी को इकाईयों की अनुमति मंजूरी, लाइसेंस देने की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना था तथा कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करनी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मै. लोढ़ा ज्वैलरी एक्सपोर्ट इंडिया प्रा. लि. को मरम्मत/पुनर्निर्माण के बाद निर्यात किए जाने वाले स्वर्ण आभूषणों के आयात हेतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क डिवीजन द्वारा जुलाई 2012 में खरीद प्रमाणपत्र दिया गया था। खरीद प्रमाणपत्र एलओपी के साथ आयात हकदारी से सहसंबंधित किए बिना जारी किया गया था जो सोने की छड़ों की आयात के

[18] मै. फैंटेसी डायमण्ड कट्स प्रा. लि. (गीतांजली ब्रैंड्स लि.), मै. आसमी ज्वैलरी इं. प्रा. लि. (मै. डिजायर लाईफ स्टाइल प्रा. लि.), मै. ब्राइटेट सर्कल ज्वैलरी इंडिया प्रा. लि. (मै. नक्षत्र ब्रैंड्स लि.) और मै. डी डामास ज्वैलरी (इं.) प्रा. लि.

लिए है। उत्पाद शुल्क विभाग की ओर से चूक के कारण ₹ 1.31 करोड़ मूल्य के स्वर्ण आभूषणों की अप्राधिकृत आयात की अनुमति की गई।

सीबीईसी ने बताया (दिसम्बर 2015) कि शीघ्र ही विस्तृत उत्तर दिया जाएगा।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

(त) 24x7 कार्गो मंजूरी संचालन का कार्यान्वयन

सीबीईसी ने ब्यापार सुविधा उपाय के कवरेज में वृद्धि के लिए चिह्नित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेज में 01 सितम्बर 2014 से पायलट आधार पर 24x7 सीमाशुल्क मंजूरी संचालन शुरू किया। बोर्ड ने इस सिफारिश के साथ कि मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क को कुछ समय के लिए उपलब्ध कर्मचारियों को सीमाशुल्क स्थल पर तैनात करने हेतु सीमाशुल्क कर्मचारियों को स्थानांतरित करना चाहिए तथा अतिरिक्त श्रमबल की गणना करके इसे बोर्ड को भेजें, 01 जून 2013 से अमृतसर के एयर कार्गो कॉम्लेक्स को सुविधा विस्तारित कर दी गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अमृतसर के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में दिनांक 31 मई 2013 के बोर्ड के आदेशों के बावजूद 24x7 कार्गो मंजूरी संचालन नहीं किया गया था।

सीबीईसी ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2015) में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए कहा कि कर्मचारियों को एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, अमृतसर में तैनात किया जा रहा है।

3.5 विविध अनियमिततायें

कृत्रिम आभूषणों पर छूट अधिसूचना का गलत लाभ लेने के उन्नत्तीस मामलों में मांग की गैर वसूली, सोने/चांदी के आभूषणों पर अपशिष्ट के अधिक दावे पर शुल्क की गैर वसूली, निर्धारित समय सीमा से अधिक वस्तुओं के पुनर्निर्यात पर शुल्क की गैर उगाही आदि के परिणामस्वरूप ₹ 2.82 करोड़ के शुल्क की गैर उगाही/कम उगाही के मामले भी देखे गए थे (परिशिष्ट 14), विभाग ने चार मामलों में आपत्ति स्वीकार कर लिया था और शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित हैं।